

**लघु सिंचाई विभाग**  
**बिहार, पटना**  
**(17 {सत्रह} बिन्दु मैनुअल)**

मैनुअल	बिषय सूची	पृष्ठ संख्य
(i)	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	1-11
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	12-54
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	55
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	56
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	57-58
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	59
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	60
(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण	61-63
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	64-68
(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	69-71
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	72-173
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	174
(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ	175
(xiv)	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	176
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचनालय कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं	177
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	178-183
(xvii)	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।	184

## मैनुअल- (I)

अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य;

1 (i) संगठन :- लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार

2 (ii) विशिष्टियाँ :- बिहार राज्य में सतही जल एवं भूगर्भ जल दोनों का ही बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध है तथा आवश्यकता इस बात की है कि इसका विकास करके सिंचाई हेतु इसका उपयोग किया जाया सतही एवं भूगर्भ जल सिंचाई योजनाएँ, जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर तक है, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

3 (i) कृत्य :- राज्य सरकार द्वारा अधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया गया है। राज्य में उपलब्ध भूगर्भ जल एवं सतही जल स्रोतों से कम समय एवं कम लागत पर सिंचाई क्षमता सृजित करना एवं सृजित सिंचाई क्षमता का समुचित उपयोग करना इस विभाग का मुख्य कृत्य एवं उद्देश्य है।

4 (i) कर्तव्य :-

(क) लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा कृषकों को कम लागत पर अपेक्षाकृत कम समय में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना;

(ख) राज्य में उपलब्ध छोटे जल ग्रहण स्रोतों का सदुपयोग, इन छोटी-छोटी परियोजनाओं के निर्माण द्वारा कराना;

(ग) छोटी-छोटी तथा छिटपुट जमीन जो बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के कमांड क्षेत्रों में रहते हुए भी सिंचाई सुविधा से वंचित रहती है, को लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना;

(घ) कृषकों को सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत निजी नलकूपों, सिंचाई कूपों, पम्पसेटों आदि पर लाभान्वितों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराना;

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में राज्य में उपलब्ध भूमि से कृषकों को लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से कम लागत पर अपेक्षाकृत कम समय में, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लघु सिंचाई विभाग प्रयत्नशील है।

1.2 विभाग के प्रशासनिक संगठन की वर्तमान रूपरेखा

(क) सचिवालय स्तर :-

लघु सिंचाई विभाग में सचिवालय स्तर पर सचिव के अतिरिक्त दो संयुक्त सचिव, दो उप सचिव तथा दो अवर सचिव का पद स्वीकृत है।

(ख) अनुश्रवण कोषांग

मुख्यालय स्तर पर एक अधीक्षण अभियन्ता, अनुश्रवण का पद स्वीकृत है, जिनके अधीन दो कार्यपालक अभियन्ता एवं चार सहायक अभियन्ता का पद स्वीकृत है। अनुश्रवण कोषांग का दायित्व राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करना है। अधीक्षण

अभियन्ता, अनुश्रवण के अधीन पटना मुख्यालय में एक उड़नदस्ता प्रमण्डल गठित है, जिसका कार्य मुख्यतः परियोजनाओं की गुणवत्ता का आकस्मिक निरीक्षण एवं प्राप्त शिकायतों की जाँच करना है।

**(ग) नलकूप प्रभाग :-**

नलकूप प्रभाग में परियोजना संयोजक का पद सृजित है। इनके अधीन दो मुख्य अभियन्ता— मुख्य अभियन्ता, नलकूप (उत्तर), मुजफ्फरपुर एवं मुख्य अभियन्ता, नलकूप (दक्षिण), पटना के पद हैं।

उत्तर बिहार में मुख्य अभियन्ता (उत्तर), मुजफ्फरपुर के नियंत्रणाधीन नलकूप अंचल, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा हैं, जिनके अधीनस्थ नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, पूर्णियाँ, खगड़िया एवं मधेपुरा कार्यरत है। इनके माध्यम से उत्तर बिहार के सभी जिलों में नलकूप परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं।

इसी प्रकार दक्षिण बिहार में मुख्य अभियन्ता (दक्षिण), पटना के नियंत्रणाधीन नलकूप अंचल, पटना, आरा, गया हैं, जिनके अधीनस्थ नलकूप प्रमण्डल, पटना (पूर्वी), पटना (पश्चिम) बिहटा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, बिहारशरीफ, नवादा, गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर, डेहरी, मोहनियाँ एवं केन्द्रीय कर्मशाला, पटना कार्यरत है। इनके माध्यम से दक्षिण बिहार के सभी जिलों में नलकूप परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं।

नलकूप प्रभाग में मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण हेतु एक अधीक्षण अभियन्ता, एक कार्यपालक अभियन्ता तथा दो सहायक अभियन्ताओं के पद सृजित है। साथ-ही, विभिन्न सामग्रियों के क्रय के लिए एक अधीक्षण अभियन्ता, एक कार्यपालक अभियन्ता एवं एक सहायक अभियन्ता का पद, योजना एवं रूपांकन इकाई में एक अधीक्षण अभियन्ता, एक कार्यपालक अभियन्ता एवं एक सहायक अभियन्ता का पद तथा परियोजना संयोजक इकाई में एक अधीक्षण अभियन्ता, एक कार्यपालक अभियन्ता एवं एक सहायक अभियन्ता का पद सृजित है।

**(घ) लघु सिंचाई :-**

लघु सिंचाई योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं सुदृढ़ पर्यवेक्षण हेतु विभाग में तीन मुख्य अभियन्ता पदस्थापित हैं। इन मुख्य अभियन्ताओं का मुख्यालय पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर है।

1. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, पटना के कार्य क्षेत्र में लघु सिंचाई अंचल, पटना, गया एवं सासाराम/लघु सिंचाई अन्वेषण अंचल, पटना/लघु सिंचाई रूपांकन अंचल, पटना एवं निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, पटना है।
2. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, भागलपुर के कार्यक्षेत्र एवं नियंत्रण में लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर एवं सहरसा है।
3. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मुजफ्फरपुर के कार्यक्षेत्र एवं नियंत्रण में लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर, छपरा एवं दरभंगा है।

सभी अंचलों के अधीनस्थ विभिन्न प्रमण्डल कार्यरत हैं।

**(ड) भूगर्भ जल निदेशालय :-**

भूगर्भ जल द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु भूगर्भ जल की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करना सर्वोपरि है। इसी उद्देश्य से विभाग के अधीन भूगर्भ जल निदेशालय का गठन किया गया है, जिसका संचालन निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, पटना द्वारा किया जाता है। इस संगठन का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, पटना के अधीन है। संगठन के अधीन 5 प्रमण्डल कार्यरत हैं। भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को प्रमुख रूप से अन्वेषणात्मक छिद्रण द्वारा भूगर्भ जल मूल्यांकन एवं सम्बन्धित कार्य करना है।

**(च) केन्द्रीय कम्प्यूटर कोषांग :-**


विभाग की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से आज की तकनीकी मांग के अनुरूप सचिवालय स्तर पर एक कम्प्यूटर कोषांग का गठन किया गया है। वर्तमान में इस कोषांग में कुल चार कम्प्यूटर, दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक कलर प्रिंटर, एक लेजर प्रिंटर, एक सीओभीटीओ एवं एक यूओपीओएसओ उपलब्ध है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संबंधी सूचनाओं के कम्प्यूटरीकरण करने का कार्य इस कोषांग के द्वारा किया जा रहा है। इस कोषांग को एक कार्यपालक अभियन्ता एवं एक सहायक अभियन्ता स्तर के पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। डाटा इन्ट्री के कार्य हेतु विभाग के ही चार दक्ष टंककों एवं आशुटंककों को इस कोषांग में प्रतिनियुक्त कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को इन्टरनेट एवं ईओ मेल सुविधायुक्त बनाया गया है।

नलकूप प्रभाग में भी एक कम्प्यूटर कोषांग का गठन किया गया है। इस कोषांग को एक कम्प्यूटर, एक यूओपीओएसओ, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक कलर ईक जेट के साथ उपलब्ध है।

**1.4 बिहार जल विकास निगम के कार्यकलाप के संबंध में प्रतिवेदन :-**


वर्ष 1974 में सरकार द्वारा बिहार जल विकास निगम की स्थापना राजकीय नलकूपों से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु की गयी थी, परन्तु दिनांक- 13/08/86 से लघु सिंचाई विभाग में नलकूप परियोजना के सृजन के उपरान्त राजकीय नलकूपों से संबंधित निगम की देयता एवं परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण राजकीय नलकूपों के साथ कर लिया गया।

लघु सिंचाई विभाग  
(सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक/तकनीकी संगठन)




# लघु सिंचाई विभाग

## तकनीकी संगठन



परियोजना संयोजक,  
नलकूप प्रभाग



मुख्य अभियन्ता,  
नलकूप (दक्षिण), पटना

अधीक्षण अभियन्ता,  
नलकूप अंचल,  
पटना

कार्यपालक अभियन्ता,  
नलकूप प्रमण्डल -  
1. पटना (पूर्व)  
2. पटना (पश्चिम) बिहटा  
3. बाढ़  
4. भागलपुर  
5. मुंगेर

अधीक्षण अभियन्ता,  
नलकूप अंचल,  
गया

कार्यपालक अभियन्ता,  
नलकूप प्रमण्डल -  
1. गया  
2. नवादा  
3. जहानाबाद  
4. बिहारशरीफ

अधीक्षण अभियन्ता  
नलकूप अंचल,  
आरा

कार्यपालक अभियन्ता,  
नलकूप प्रमण्डल -  
1. आरा  
2. बक्सर  
3. सासाराम  
4. मोहनियाँ

मुख्य अभियन्ता,  
नलकूप (उत्तर), मुजफ्फरपुर

अधीक्षण अभियन्ता,  
नलकूप अंचल,  
मुजफ्फरपुर

अधीक्षण अभियन्ता,  
नलकूप अंचल,  
दरभंगा

अधीक्षण अभियन्ता  
नलकूप अंचल,  
पूर्णियाँ

कार्यपालक अभियन्ता,  
नलकूप प्रमण्डल -  
1. मुजफ्फरपुर  
2. सीतामढी  
3. हाजीपुर  
4. छपरा  
5. सिवान  
6. गोपालगंज  
7. मोतिहारी  
8. बेतिया


कार्यपालक अभियन्ता,  
नलकूप प्रमण्डल -  
1. दरभंगा  
2. बेगुसराय  
3. समस्तीपुर  
4. मधुबनी

कार्यपालक अभियन्ता,  
नलकूप प्रमण्डल -  
1. पूर्णियाँ  
2. मधेपुरा  
3. खगड़िया

मुख्य अभियन्ता,  
लघु सिंचाई विभाग, पटना



मुख्य अभियन्ता,  
लघु सिंचाई विभाग, मुजफ्फरपुर



मुख्य अभियन्ता,  
लघु सिंचाई विभाग, भागलपुर

अधीक्षण अभियन्ता,  
लघु सिंचाई अंचल,  
भागलपुर

कार्यपालक अभियन्ता,  
लघु सिंचाई प्रमण्डल -  
1. भागलपुर  
2. मुंगेर  
3. झांझा

अधीक्षण अभियन्ता,  
लघु सिंचाई अंचल,  
सहरसा

कार्यपालक अभियन्ता,  
लघु सिंचाई प्रमण्डल -  
1. सहरसा  
2. कटिहार

## मैनुअल- (II)

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

1 (ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों का विवरण;

(क) पदनाम : सचिव

(ख) शक्तियाँ :-

प्रशासकीय :-

1. प्रशासी प्रमुख के नाते सचिव विभाग के सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी है, तथा इस हेतु विभिन्न अधिनियमों, नियमों, निर्देशों आदि का अनुपालन कराना उनका कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में बिहार कार्यपालिका नियमावली तथा अन्य नियमों/निर्देशों के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई करायी जाती है।

वित्तीय :-

1. विभाग में बजट की तैयारी एवं वित्त विभाग से बजट प्रावधान कराना;
2. वित्त विभाग द्वारा उपबंधित/आवंटित राशि पर नियंत्रण एवं राशि का आवंटन करना;
3. विभागीय योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन से सम्बन्धित वित्त विभाग के संकल्प पत्रांक- 5685 दिनांक- 08/10/2005 एवं 3828 दिनांक- 12/06/2006 में निहित प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। (संकल्प की छाया प्रति संलग्न)

(ग) कर्तव्य :-

सचिव के निम्न प्रमुख कर्तव्य हैं :-

1. प्रशासी प्रमुख होने के नाते, विभाग को सुचारु रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी है;
2. विभागीय नीतियों एवं प्रशासन के मामले में विभागीय मंत्री को परामर्श देना;

विषय- योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन।

- प्रसंग-
- (i) वित्त विभाग संकल्प संख्या- 2046 दिनांक- 14/03/1986
  - (ii) वित्त विभाग संकल्प संख्या- 4592 दिनांक- 29/07/1987
  - (iii) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संकल्प संख्या- 1611 दिनांक- 06/05/1994
  - (iv) वित्त विभाग संकल्प संख्या- 301 दिनांक- 31/01/1995
  - (v) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संकल्प संख्या- 537 दिनांक- 11/03/2005
  - (vi) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संकल्प संख्या- 558 दिनांक- 14/03/2005
  - (vii) वित्त विभाग पत्रांक- 2218 दिनांक- 16/03/2002
  - (viii) बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 59 एवं 60

उपर्युक्त प्रसंग (i) के द्वारा विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की प्रणाली एवं व्यवस्था के सुदृढीकरण के सम्बन्ध में दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे तथा कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु सरकारी विभागों की शक्तियों में वृत्ति करने का निर्णय लिया गया था।

2. उपर्युक्त प्रसंग (ii) के द्वारा प्रसंग (i) में प्रत्यायोजित शक्तियों के सम्बन्ध में कतिपय शंकाओं एवं मतभेदों को देखते हुए संशोधन किए गए थे।
3. उपर्युक्त प्रसंग (iii) के द्वारा योजना एवं वाह्य पोषित योजनाओं (विश्व बैंक सहित) की समीक्षा एवं स्वीकृति के लिए प्राधिकृत समितियों का पुनर्गठन किया गया था।
4. उपर्युक्त प्रसंग (iv) के द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा अनुशंसित योजनाओं के लिए संलेख एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में बिना वित्त विभाग में संचिका भेजे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे।
5. उपर्युक्त प्रसंग (v) के द्वारा बिहार कार्यपालक नियमावली, 2005 प्रख्यापित की गई थी, जिसके नियम संख्या-32 में योजना मद में योजनाओं की स्वीकृति एवं समीक्षा के लिये प्राधिकृत समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। नियम 16 में वित्त विभाग को वित्त विभाग की सहमति आदि के सम्बन्ध में सामान्य अथवा विशेष निर्देश देने तथा नियम बनाने का प्रावधान किया गया है।
6. उपर्युक्त प्रसंग (vi) के द्वारा प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है।
7. उपर्युक्त प्रसंग (vii) के द्वारा महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता वाले मामलों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिया गया है।
8. उपर्युक्त प्रसंग (viii) में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान किया गया है।
9. प्राधिकृत समितियों के गठन तथा वित्त विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों सम्बन्धी आदेशों में विसंगतियाँ/अस्पष्टताएँ हैं। इन कारणों से विभागों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग नहीं हो पा रहा है और योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया में अस्पष्टता बनी हुई है। चालू तथा नई योजनाओं की परिभाषा में भी अस्पष्टता है। इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन एक ही स्तर से किया जाय जिससे आदेशों में विसंगतियाँ नहीं आयें तथा एकरूपता बनी रहे।
10. उपर्युक्त उद्देश्य से सरकार द्वारा पूर्व में गठित समितियों की अनुशंसाओं तथा केन्द्र सरकार में इस सम्बन्ध में व्यवस्था पर विचारोपरान्त योजना मद में चालू एवं नई योजनाओं की समीक्षा (appraisal) एवं स्वीकृति (approval) के लिए निम्न व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है :-

**समीक्षा समितियाँ (Appraisal Committees) :-**

**विभागीय स्थायी वित्त समिति :-**

विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्त समिति (Standing Finance Committee) में निम्न सदस्य होंगे :-

(क)	विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव	-	<b>अध्यक्ष</b>
(ख)	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	-	<b>सदस्य</b>
(ग)	योजना सम्बन्धी प्रशाखा के संयुक्त सचिव	-	<b>सदस्य</b>

सचिव अथवा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार यदि चाहें तो योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग तथा किसी अन्य विभाग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

**विभागीय व्यय वित्त समिति :-**

विभागीय व्यय वित्त समिति (Departmental Expenditure Finance Committee) में निम्न सदस्य होंगे :-

(क)	विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव	-	<b>अध्यक्ष</b>
(ख)	सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रतिनिधि	-	<b>सदस्य</b>
(ग)	वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त/प्रतिनिधि	-	<b>सदस्य</b>
(घ)	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	-	<b>सदस्य</b>

**प्राधिकृत समिति :-**

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति वर्तमान की तरह रहेगी।

(क)	विभागीय आयुक्त	-	<b>अध्यक्ष</b>
(ख)	वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त	-	<b>सदस्य</b>
(ग)	आयुक्त सह सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	-	<b>सदस्य सचिव</b>
(घ)	सम्बन्धित विभागीय आयुक्त सह सचिव/सचिव	-	<b>सदस्य</b>
(च)	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	-	<b>सदस्य</b>

- (ii) यह व्यवस्था योजना मद में योजनाओं की समीक्षा (appraisal) एवं स्वीकृति (approval) के लिए ही है।
- (iii) चालू योजना वही मानी जाएगी जिसकी पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी हो लेकिन स्वीकृत राशि के विरुद्ध पूर्ण राशि आवंटित नहीं की गई है।
- (iv) लेकिन ऐसी योजनायें चालू नहीं मानी जाएंगी जिनमें अवधि विस्तार पिछले वर्ष तक के लिए ही किया गया हो। यदि किसी योजना में अवधि विस्तार किया जाना है तो वह नई योजना की मानी जाएगी।
- (v) यदि किसी नई योजना में पद सृजन/उत्क्रमण अथवा वाहनों का क्रय शामिल है तो उक्त योजना की समीक्षा प्राधिकृत समिति द्वारा व अनुमोदन मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जायेगा।
- (vi) यदि योजनाओं के अवधि विस्तार में पदों का भी अवधि विस्तार है तो यह नई योजना के अन्तर्गत पद सृजन का मामला होगा। प्रशासी विभाग यदि चाहे तो ऐसी योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार औचित्य के साथ एक से अधिक वर्षों के लिए अवधि विस्तार का प्रस्ताव प्राधिकृत समिति की समीक्षा तथा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के लिए ला सकता है। सक्षम स्तर से अनुमोदन हो जाने पर यह योजना आगामी वर्षों के लिए चालू योजना की श्रेणी मानी जाएगी।
- (vii) स्थायी अथवा अस्थायी पदों के सृजन, वाहनों का क्रय, विशेष आकस्मिकता आदि के लिए मितव्ययिता परिपत्रों का पालन अनिवार्य होगा।
- (viii) चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए अथवा उन पर प्रतिबद्धता की राशि को प्राथमिकता दी जाएगी तत्पश्चात् ही अवशेष योजना उद्भव्य और बजट उपबंध के अन्तर्गत नई योजनाओं की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। नई योजनायें उतनी ही लागत की ली जायें जिन पर वर्तमान वर्ष में प्रस्तावित व्यय अवशेष योजना और बजट उपबंध के अन्तर्गत ही हो और योजना के लिए शेष राशि के लिए आगामी वर्ष में योजना एवं बजट उपबंध की उपलब्धता हो।
- (ix) **योजना मद में नई योजना स्कीम :-**

क्र. सं.	योजना की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार	अभ्युक्ति
1.	50.00 लाख तक*	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव	
2.	50.00 लाख से 2.50 करोड़ तक*	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री	विभागीय सचिव की अध्यक्षता में
3.	2.50 से 5.00 करोड़ तक*	विभागीय व्यय वित्त समिति	विभागीय मंत्री	विभागीय सचिव की अध्यक्षता में
4.	5.00 से 10.00 करोड़ तक*	विभागीय व्यय वित्त समिति	विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री	विभागीय सचिव की अध्यक्षता में
5.	10.00 करोड़ से अधिक	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्	विकास आयुक्त की अध्यक्षता में
6.	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्	विकास आयुक्त की अध्यक्षता में

\*यदि योजना में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा नया वाहन के क्रय भी शामिल हों तो प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जायेगा। इसी तरह अवधि विस्तार के प्रस्ताव भी प्राधिकृत समिति के समक्ष ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

(x) निवेश पूर्व कार्य/योजना (Pre investment activity) :-

क्र.सं.	योजना की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार	अभ्युक्ति
1.	20 लाख तक DFR तथा Pre investment activity (भूमि अधिग्रहण/आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर) बजट उपबंध/योजना उद्ध्यय उपलब्ध होने पर	विभागीय सचिव	विभागीय सचिव	
2.	शेष मामले में	प्राधिकृत समिति	क्रम संख्या (ix) के अनुसार सक्षम प्राधिकार	

(xi) पुनरीक्षित प्राकल्पनों की स्वीकृति :-

(i) 10 करोड़ की लागत से कम योजनाओं के मामले :-

- प्रोजेक्ट के निर्धारित अवधि के अन्दर वैधानिक लेवी/करों, विनिमय दरों तथा मूल्य दरों में वृद्धि के कारण तथा इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक की लागत में वृद्धि में अनुमोदन उपर्युक्त कंडिका- IV में दी गई स्वीकृति प्राधिकार के द्वारा योजना एवं विकास विभाग के साथ विमर्श के बाद स्वीकृत किये जायेंगे।
- उक्त तीन कारणों के अतिरिक्त 20 प्रतिशत से ज्यादा लागत में वृद्धि के प्रस्ताव की समीक्षा (appraisal) तथा अनुमोदन कंडिका- 12 (क) में दी गई appraisal authority एवं स्वीकृति प्राधिकार (approval authority) के द्वारा की जायेगी।

(ii) 10 करोड़ से ज्यादा लागत के योजनाओं के पुनरीक्षित प्राकल्पन :-

- मात्र उक्त तीनों कारणों के कारण लागत में वृद्धि में अनुमोदन प्रशासी विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग की सहमति से किए जायेंगे।
- प्रथम पुनरीक्षण के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमोदन प्रशासी विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग की सहमति से किये जायेंगे।
- प्रथम पुनरीक्षण के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि के अनुमोदन के प्रस्ताव की समीक्षा (appraisal) योजना एवं विकास विभाग द्वारा तथा अनुमोदन विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री के द्वारा किये जायेंगे।
- प्रथम पुनरीक्षण के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कारणों के कारण 20 प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि के अनुमोदन

के प्रस्ताव की समीक्षा (appraisal) प्राधिकृत समिति द्वारा तथा अनुमोदन मंत्रिपरिषद् द्वारा दिया जायेगा।

- (e) द्वितीय या उसके बाद के पुनरीक्षण प्रस्ताव के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त अद्यतन अनुमोदित लागत से 5 प्रतिशत की वृद्धि की समीक्षा (appraisal) योजना एवं विकास विभाग द्वारा तथा अनुमोदन विभागीय मंत्री द्वारा किया जायेगा।
- (f) द्वितीय या उसके बाद के पुनरीक्षण प्रस्ताव के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कारणों के कारण अद्यतन अनुमोदित लागत से 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की समीक्षा (appraisal) प्राधिकृत समिति द्वारा तथा अनुमोदन मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जायेगा।

**नोट :-** वैधानिक लेवी/करों में प्रोजेक्ट ऑथोरिटीज द्वारा भुगतिय केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लगाये गये कर, आयात एवं निर्यात शुल्क शामिल है, लेकिन जल, विद्युत शुल्क तथा पी.ओ.एल. की दरों में वृद्धि शामिल नहीं है।

**(xii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, केन्द्र चालित योजना एवं वाह्य सम्पोषित योजना प्रक्षेत्र में चालू तथा नई योजनायें :-**

केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित चालू योजनाओं जिनके लिए योजना उद्ध्यय एवं बजट में उपबंध हो, ऐसी योजनाओं के लिए अलग से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासी विभाग योजना उद्ध्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपातिक राशि विमुक्त करने के लिए समक्षम होगा। लेकिन, इन प्रक्षेत्रों में नई योजनाओं के लिए तभी विचार होगा जब उनसे उत्पन्न राज्य सरकार के वित्तीय भार के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति एवं योजना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो।

**(xiii) राज्य योजना क्षेत्र की चालू योजना :-**

राज्य योजना क्षेत्र की चालू योजनाओं के लिये प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिये योजना की स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही सम्बन्धित वर्ष के लिए योजना उद्ध्यय तथा बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा। लेकिन ऐसी योजनायें जिनमें अवधि विस्तार की आवश्यकता होती है वे एक तरह से प्रति वर्ष नई योजना की तरह ही मानी जायेंगी। यदि उनमें पदों का अवधि विस्तार है तो योजनाओं की समीक्षा प्राधिकृत समिति तथा अनुमोदन मंत्रिपरिषद् द्वारा ही किया जायेगा।

**(xiv) राज्यादेश :-**

उपर्युक्त प्रसंग (iv) के द्वारा निर्धारित व्यवस्था ही रहेगी। प्रशासी विभाग आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर संलेख आवश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होगा। इसी तरह योजना से सम्बन्धित राज्यादेश भी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जायेगा।

**(xv) राज्यादेशों का संसूचन :-**

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 67 के अनुसार विभाग प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के अन्तर्गत राज्यादेशों को महालेखाकार को सीधे संसूचित कर सकते हैं। तदनुसार विभाग प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत राज्यादेशों का संसूचन महालेखाकार को सीधे कर सकता है। लेकिन योजना मद में भी उपर्युक्त प्रसंग (vii) के अनुसार जिन मदों में राशि की कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है, विभागों द्वारा उनसे सम्बन्धित सभी राज्यादेशों का संसूचन वित्त विभाग के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. उपर्युक्त कंडिका- 9 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पूर्व में निर्गत सम्बन्धित संकल्प इस हद तक संशोधित माने जायेंगे। वर्तमान में चल रही विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था पूर्ववत्

रहेगी और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में निहित वित्तीय आदेश के प्रत्यायोजन का प्रयोग वही किया जायेगा जहाँ आवश्यक/अपेक्षित निधियाँ परियोजना/स्कीम अनुक्रमण के अनुसार वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना परिव्यय में उपलब्ध हों। शक्तियों को सामान्य मितव्ययिता हिदायतों आदि जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जानेवाली प्रक्रियात्मक तथा अन्य अनुदेशों द्वारा शासित किया जाना जारी रहेगा।

12. इस सम्बन्ध में बिहार कार्यपालक नियमावली, 2005 के नियम 32 तथा द्वितीय अनुसूची की मद संख्या- 29 को संशोधित करने का अनुरोध मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से किया जा रहा है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-एम4-45/94-पार्ट-1/5685 वि0 (2)/पटना, दिनांक- 08-10-2005

प्रतिलिपि-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना को संकल्प के अनुसार कार्यपालक नियमावली में संशोधन करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-एम4-45/94-पार्ट-1/5685 वि0 (2)/पटना, दिनांक- 08-10-2005

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-एम4-45/94-पार्ट-1/5685 वि0 (2)/पटना, दिनांक- 08-10-2005

प्रतिलिपि-वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-760 ल0सिं0,पटना, दिनांक- 21-02-2006

प्रतिलिपि-सभी पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग/परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग/सभ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई (नलकूप प्रभाग सहित) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

लघु सिंचाई विभाग, पटना

**3828 वि० (2)**  
**बिहार सरकार**  
**वित्त विभाग**  
**संकल्प**

3828 वि० (2)/पटना, दिनांक- 12/06/2006

**विषय-** योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन।

**प्रसंग-** वित्त विभाग संकल्प संख्या-एम4-45/94-पार्ट-1-5685 वि० (2) दिनांक- 08-10-2005.

1. उपर्युक्त प्रसंग के द्वारा योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी विस्तृत निदेश निर्गत किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियों में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। तदनुसार उपर्युक्त प्रसंग की कंडिका 10 उप कंडिका (IX) के अन्तर्गत योजना मद में नई योजना स्कीम के लिए समीक्षा प्राधिकार एवं स्वीकृति प्राधिकार की शक्तियाँ निम्न प्रकार से संशोधन की जाती है :-

क्र.सं.	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार	वर्तमान शक्तियाँ	नई शक्तियाँ
1.	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव	50 लाख तक	*2.50 करोड़ तक
2.	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री	50 लाख से 2.50 करोड़ तक	*2.50 करोड़ से .00 करोड़ तक
3.	विभागीय व्यय वित्त समिति	विभागीय मंत्री	2.50 करोड़ से 5.00 करोड़ तक	*5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक
4.	विभागीय व्यय वित्त समिति	विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री	5.00 करोड़ से 10.00 करोड़	*10.00 करोड़ से 20.00 करोड़ तक
5.	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्	10.00 करोड़ से अधिक	20.00 करोड़ से अधिक
6.	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठापन के संबंध में	यथावत्

\*यदि योजना में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा नया वाहन के क्रय भी शामिल हों तो प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जायेगा। इसी तरह अवधि विस्तार के प्रस्ताव भी प्राधिकृत समिति के समक्ष ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्य मंत्री जिला विकास योजना के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन :-

यह देखा गया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्य मंत्री जिला विकास योजना के अन्तर्गत काफी संख्या में योजनायें हैं जिनपर वर्तमान प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत प्रत्यायोजन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में अत्यन्त विलम्ब होता है। इस प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रमंडलीय आयुक्त/अधीक्षण अभियंता के स्तर पर और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाय। तदनुसार उपर्युक्त योजनाओं के लिये ही निम्नवत् तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है :-

प्रमण्डलीय आयुक्त	प्रशासनिक स्वीकृति	50 लाख रुपये से 10 करोड़ तक
जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति	50 लाख रुपये तक
अधीक्षण अभियंता	तकनीकी स्वीकृति	50 लाख रुपये से 10 करोड़ तक
कार्यपालक अभियंता	तकनीकी स्वीकृति	50 लाख रुपये तक

उपर्युक्त शक्तियों मात्र राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्य मंत्री जिला विकास योजना के सम्बन्ध में ही लागू होंगी। अन्य मामलों में लोक निर्माण संहिता के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

3. उपर्युक्त कंडिका-1 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के तदनु रूप कार्यपालक नियमावली में संशोधन के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)  
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक- 3828 वि0 (2)/पटना, दिनांक- 12-06-2006

प्रतिलिपि-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना को संकल्प के अनुसार कार्यपालक नियमावली में संशोधन करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)  
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक- 3828 वि0 (2)/पटना, दिनांक- 12-06-2006

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)  
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक- 3828 वि0 (2)/पटना, दिनांक- 12-06-2006

प्रतिलिपि-वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)  
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

1. पदनाम : संयुक्त सचिव  
(वितनमान : 14300-18300 रुपये)

2. शक्तियां-

- (i) सचिव द्वारा समय-समय पर आवंटित प्रशाखाओं से सम्बन्धित कर्तव्यों का निर्वहन।  
(ii) सचिव द्वारा निदेशित अथवा सौंपे गये कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण हेतु अपने प्रशाखाओं के पदाधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण।  
(iii) विभाग के अन्तर्गत निगरानी कार्यों का संचालन।

**वित्तीय-**

- (i) विभागीय सचिव द्वारा 5000/-रुपये से अधिक व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव पारित करने की शक्तियां प्रदत्त हैं।

**कर्तव्य-**

- (i) अपने अधीनस्थ के कार्यों की समीक्षा एवं कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण;  
(ii) सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यों का यथासमय निष्पादन एवं की गई कार्रवाई एवं फलाफल से उन्हें अवगत कराना।

1. पदनाम :- उप सचिव-I  
(वितनमान 12,000-16,500/-रुपये)

2. शक्तियाँ :-

**प्रशासकीय**

- (i) सचिव द्वारा समय-समय पर आवंटित प्रशाखाओं से सम्बन्धित कर्तव्यों का निर्वहन।  
(ii) सचिव द्वारा निदेशित अथवा सौंपे गये कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण हेतु अपने प्रशाखाओं के पदाधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण।  
(iii) सचिव द्वारा आहूत बैठकों का आयोजन एवं समीक्षात्मक कार्रवाई की कार्यवाही तैयार करना।

**वित्तीय :-**

- (i) विभागीय सचिव द्वारा 5000/-रुपये से अधिक व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव पारित करने की शक्ति प्रदत्त है।

**कर्तव्य :-**

- (i) अपने अधीनस्थ के कार्यों की समीक्षा एवं कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण।  
(ii) सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यों का यथा समय निष्पादन एवं की गई कार्रवाई एवं फलाफल से उन्हें अवगत कराना।

1. पदनाम :- उप सचिव- II  
(वितनमान 12,000-16,500/-रुपये)

2. शक्तियाँ :-

**प्रशासकीय**

- (i) सचिव द्वारा समय-समय पर आवंटित प्रशाखाओं से सम्बन्धित कर्तव्यों का निर्वहन।  
(ii) विभागीय स्थापना से सम्बन्धित कार्यों पर उचित निर्णय लेने हेतु विभागीय सचिव को मंतव्य देना।  
(iii) सूचना का अधिकार-2005 के अनुसार विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।

**कर्तव्य :-**

- (i) अपने अधीनस्थ के कार्यों की समीक्षा एवं निरीक्षण।  
(ii) सचिव के द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को यथा समय निष्पादित करना।

1. पदनाम :- उप सचिव- III  
(वितनमान 12,000-16,500/-रुपये)

2. शक्तियाँ :-

**प्रशासकीय**

- (i) सचिव द्वारा समय-समय पर आवंटित प्रशाखाओं से सम्बन्धित कर्तव्यों का निर्वहन।

**2. कर्तव्य :-**

- (i) अपने अधीनस्थ के कार्यों की समीक्षा एवं निरीक्षण।
- (ii) सचिव के द्वारा सौंपि गये अन्य कार्यों को निष्पादन।

**1. पदनाम :- अवर सचिव  
(वेतनमान 10,000-15,500/-रुपये)**

**2. शक्तियाँ :-**

**प्रशासकीय**

- (i) कोई प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त नहीं है।
- (ii) सचिव द्वारा समय-समय पर आवंटित प्रशाखाओं से सम्बन्धित कर्तव्यों का निर्वहन।

**3. वित्तीय :-**

- (i) विभाग मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य, 5000/-रुपये तक अभिश्रव पारित करने की शक्ति प्रदत्त है।
- (ii) लेखा से सम्बन्धित रोकड़ पंजी सत्यापन तथा विविध गतिविधियों पर व्यय तथा प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित विपत्रों की जाँच।

**4. कर्तव्य :-**

- (i) अवर सचिव को आवंटित विभिन्न कार्यों का सम्पादन।
- (ii) प्रशाखा पदाधिकारियों से मिलकर कार्यों की प्रगति एवं कार्यों में गति लाना।
- (iii) कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना।

नोट :- संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव के कार्यों के समय-समय पर परिवर्तन होते हैं।

**1. पदनाम :- प्रशाखा पदाधिकारी  
(वेतनमान 6,500-10,500/-रुपये)**

**2. शक्तियाँ :-**

**प्रशासकीय**

- (i) कोई प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त नहीं है।

**3. वित्तीय :-**

- (i) कोई वित्तीय शक्ति प्रदत्त नहीं है।

**4. कर्तव्य :-**

- (i) प्राप्त पत्रों को अपनी प्रशाखा के सहायकों के नाम कार्रवाई हेतु अंकित करना।
- (ii) अपनी प्रशाखा में शीघ्र एवं कुशलता से कार्य निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ सहायकों को अनुदेश देना।
- (iii) किन्हीं सहायक की अनुपस्थिति में उन्हें सौंपि गये कार्यों को यथाशीघ्र निपटाने की व्यवस्था करना। सभी कर्मियों के दैनिक कार्यों की देख रेख करना तथा प्रभारी पदाधिकारी को कार्यों की प्रगति से अवगत करना।
- (iv) प्रशाखा का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना।

**1. पदनाम :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निजी सहायक  
(वेतनमान : 10000-15200 रुपये)/(वेतनमान : 5500-9000 रुपये)**

**2. शक्तियाँ :-**

**प्रशासकीय**

- (i) कोई प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त नहीं है।

**वित्तीय :-**

- (i) कोई वित्तीय शक्ति प्रदत्त नहीं है।

**3. कर्तव्य :-**

- (i) पदाधिकारी द्वारा सौंपि गये कार्यों का निष्पादन।
- (ii) अपने पदाधिकारी का श्रुतलेख लेना तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार करना।
- (iii) पदाधिकारी के निदेशानुसार पत्रों, संचिकाओं, अभिलेखों को सम्बन्धित पदाधिकारी तक भेजना।

1. **पदनाम :- टंकक**  
(वेतनमान : 4000-6000 रुपये)
2. **शक्तियाँ :-**  
**प्रशासकीय**  
(i) कोई प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त नहीं है।
3. **वित्तीय :-**  
(i) कोई वित्तीय शक्ति प्रदत्त नहीं है।
4. **कर्तव्य :-**  
(i) प्रशाखा पदाधिकारी के निदेशानुसार पत्र प्रारूप। टिप्पण प्रारूप का स्पष्ट टंकण करना।
1. **पदनाम :- सहायक**  
(वेतनमान : 5500-9000 रुपये)
2. **शक्तियाँ :-**  
**प्रशासकीय**  
(i) कोई प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त नहीं है।
3. **वित्तीय :-**  
(i) कोई वित्तीय शक्ति प्रदत्त नहीं है।
4. **कर्तव्य :-**  
(i) अपने नाम अंकित पत्रों/कागजातों/अभिलेखों को कर्मपुस्तिका में दर्ज करना एवं निस्तार हेतु संचिका संख्या अंकित करना;  
(ii) सौंपि गये कार्यों को निष्पादित करना;  
(iii) प्रशाखा पदाधिकारी के माध्यम से संचिकाओं को प्रभारी अवर सचिव/उप सचिव को प्रस्तुत करना;  
(iv) भारत सरकार के पत्रों तथा विधान मंडल, न्यायालय, लोकायुक्त, निगरानी सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करना;  
(v) प्रशाखा पदाधिकारी को रिपोर्ट करना और उनके अनुदेशों का पालन करना;  
(vi) वरीय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा सौंपि गये कार्यों का निष्पादन करना।
1. **पदनाम :- लेखापाल**  
(वेतनमान 5000-8000/-रुपये)
2. **शक्तियाँ :-**  
**प्रशासकीय**  
(i) कोई प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त नहीं है।
3. **वित्तीय :-**  
(i) कोई वित्तीय शक्ति प्रदत्त नहीं है।
4. **कर्तव्य :-**  
(i) विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि लंबित वेतनादि, यात्रा विपत्रादि तैयार कर निकासी एवं भुगतान हेतु विपत्र तैयार करना;  
(ii) पदाधिकारियों/कर्मचारियों का पेंशन या अन्य देय भुगतान से सम्बन्धित विपत्र तैयार करना;  
(iii) विभागीय उपयोग के लेखन एवं विविध सामग्रियों के विपत्रों का भुगतान एवं विभागीय वाहनों के पार्ट पुर्जे के क़य/रख रखाव पर व्यय से सम्बन्धित विपत्र तैयार करना;  
(iv) विभागीय दूरभाषों के विपत्रों के आलोक में राशि की निकासी एवं भुगतान हेतु विपत्र तैयार करना।
1. **पदनाम :- रोकड़पाल**  
(वेतनमान 4500-7000/-रुपये)
2. **शक्तियाँ :-**  
**प्रशासकीय**  
(i) कोई प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त नहीं है।

**3. वित्तीय :-**

- (i) कोई वित्तीय शक्ति प्रदत्त नहीं है।

**4. कर्तव्य :-**

- (i) निकासी की गई राशि का भुगतान;  
(ii) रोकड़पंजी एवं अन्य सम्बन्धित पंजियों का संधारण एवं अद्यतन करना।  
(iv) प्रशाखा का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना।

**1. पदनाम :- उच्चवर्गीय लिपिक**  
(वितनमान 4000-6000/-रुपये)

**2. शक्तियाँ :-**

**प्रशासकीय/वित्तीय/अन्य**

- (i) ये शक्तियाँ प्रदत्त नहीं है।

**3. कर्तव्य :-**

- (i) प्राप्त पत्रों का संधारण एवं डायरी;  
(ii) निर्गत पंजी पर पत्रांक-अंकित कर पत्र निर्गत करना;  
(iii) पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का पालन करना।

**1. पदनाम :- चालक**  
(वितनमान : 3050-4590 रुपये)

**2. शक्तियाँ :-**

**प्रशासकीय/वित्तीय/अन्य**

- (i) कोई शक्ति प्रदत्त नहीं है।

**3. कर्तव्य :-**

- (i) अपने प्रभार के विभागीय वाहन का रख रखाव;  
(ii) सम्बन्धित पदाधिकारी को सरकारी कार्य हेतु उनके निदेशानुसार गन्तव्य तक पहुँचाना तथा लाना;  
(iii) वाहन का लॉगबुक संधारण करना।

**1. पदनाम :- आदेशपाल**  
(वितनमान : 2550-3200 रुपये)

**2. शक्तियाँ :-**

**प्रशासकीय/वित्तीय/अन्य**

- (i) कोई शक्ति प्रदत्त नहीं है।

**3. कर्तव्य :-**

- (i) समय पर कार्यालय खोलना एवं बन्द करना;  
(ii) संचिकाओं का विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बीच बाँटना तथा उनके आदेशों का अनुपालन करना;  
(iii) डाक वितरण करना।

**1. परियोजना संयोजक की शक्तियाँ एवं दायित्व :**

परियोजना संयोजक की शक्तियाँ एवं दायित्व नलकूप प्रभाग में राजकीय नलकूप योजनाओं के सूत्रण, कार्यान्वयन, सम्प्लोषण, जीर्णोद्धार, रख-रखाव आदि के लिए विभिन्न पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा विभाग को इनके बारे में समय-समय पर प्रतिवेदन देना है।

**2. मुख्य अभियंता की शक्तियाँ एवं दायित्व :**

मुख्य अभियंता अपने कार्य प्रक्षेत्र के प्रशासन एवं तकनीकी मामलों का प्रमुख होता है एवं अपने प्रक्षेत्र के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण जबावदेह एवं उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मुख्य अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में सचिव को तकनीकी सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य अभियंता की प्रदत्त विभिन्न शक्तियों का विवरण संलग्न है।

- 3. अधीक्षण अभियंता की शक्तियाँ एवं दायित्व :**  
अधीक्षण अभियंता प्रत्येक कार्य विभाग के अंचल ईकाई के प्रशासन एवं सामान्य विभागीय कार्यों के नियंत्रण का उत्तरदायी होता है। उसे अपनी अंचलीय ईकाई के सभी कार्यों का निरीक्षण एवं प्रबंधन की क्षमता एवं मितव्ययिता से कार्य संपन्न कराने का दायित्व है। अधीक्षण अभियंता की शक्तियों की विवरणी संलग्न है।
- 4. कार्यपालक अभियंता की शक्तियाँ एवं दायित्व :**  
कार्यपालक अभियंता कार्य विभाग की प्रमण्डलीय ईकाई का प्रमुख होता है। वह अपने प्रमण्डल में सभी प्रकार के कार्यों के क्रियान्वयन एवं सभी प्रकार के कार्यों के प्रबंधन का जिम्मेवार होता है। वह उसी रूप में अधीक्षण अभियंता के प्रति जबाबदेह भी होता है। कार्यपालक अभियंता अपने विभाग के सभी उच्च पदाधिकारियों से प्राप्त आदेश का अनुपालन सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने हेतु उत्तरदायी है। इनको प्रदत्त शक्तियों की विवरणी संलग्न है।
- 5. प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी की शक्तियाँ एवं दायित्व :**  
प्रत्येक विभागीय कार्य प्रमण्डलों में महालेखाकार भारत सरकार द्वारा प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होती है। लेखा पदाधिकारी अपने प्रमण्डल से संबंधित सभी प्रकार के लेखा के संधारण, प्रबंधन एवं नियमित रूप से आकलन के प्रति उत्तरदायी हैं। वह कार्यपालक अभियंता को लेखा के बारे में उचित एवं नियमानुकूल सलाह देने के लिए जिम्मेवार है।
- 6. सहायक अभियंता की शक्तियाँ एवं दायित्व :**  
सहायक अभियंता प्रत्येक कार्य विभाग के सम्बद्ध अवर प्रमण्डलों के कार्यों के उचित क्रियान्वयन के लिए पूर्ण जबाबदेह है। वह उसी रूप में कार्यपालक अभियंता के दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण सहयोग का जिम्मेवार है। सहायक अभियंता की शक्तियों का विवरण संलग्न है।
- 7. कनीय अभियंता की शक्तियाँ एवं दायित्व :**  
कनीय अभियंता को कोई वित्तीय शक्ति प्रदत्त नहीं है। वह अपने अधीन कार्यों को अपने समक्ष पूरी तकनीकी क्षमता से एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कराने के प्रति जिम्मेवार है। साथ ही उसका भौतिक आकलन कर मापी पुस्तिका में दर्ज कराने एवं सरकारी सामानों के देख-रेख के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है।

## B. Powers of Chief Engineers.

292. The following powers have been delegated to the Chief Engineers:-

Engineers:-

Comment [M11]:

Nature of powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<b>I. Sanction to estimates. Administrative approval</b>	Original works other than individual projects of water supply and sanitary and electric installation.	
To accord administrative approval to estimates for projects or work.	<p style="text-align: center;"><b>A-Non-residential Buildings.</b></p> (i) <u>Rs. 70,000</u> for non-residential buildings belonging to his Department the cost of which is debitable to the Public Works Grant.	
	(ii) <u>Rs. 35,000</u> for miscellaneous works belonging to his Department the cost of which is inclusive of Water-Supply, Works Grant.	
	(iii) <u>Rs. 70,000</u> for communication works. Note.-(i) Power delegated is inclusive of Water Supply. Sanitary and Electrical installations where such works form part of the main buildings project.	Chief Engineer Buildings and Roads only.
	(ii) Communication Works includes works on roadside inspection Bungalows, Rest, Houses etc.	
	(iii) In the case of State Highways, the approval of the Commissioner of the Division should be obtained before any material change is, made in the alignment of roads.	
	(iv) Power delegated will not apply to works on the following non-residential buildings:-	
	(a) Secretariat buildings at Patna and temporary barracks adjoining the Secretariat compound at Patna.	
	(b) Legislature buildings (both Assembly and Council) at Patna.	
	(c) Buildings used for residential purpose but are classified as non-residential, e.g., police barracks, hostels, peons, barracks etc.	
	(v) Government in the Public Work Department will accord administrative approval to all works relating to buildings mentioned at (iv) (a) and (b). As regards works relating to the buildings mentioned at (iv) (c) administrative approval will be accorded by the Government in the	

	Administrative Department concerned.	
--	--------------------------------------	--

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
	(i) *4701-Works for which Capital and Revenue accounts are kept-works chargeable to capital Account-Rs. <u>70,000</u> .	Chief Engineer Irrigation only.
	(ii) *0702-works for which Capital and Revenue accounts are kept-Extensions &Improvement-Rs. <u>70,000</u> .	
	(iii)4701-Works for which Capital and Revenue Accounts are not kept. (a) Original Works-Extensions and Improvements Rs. <u>70,000</u> . (b) Miscellaneous expenditure-Rs. <u>35,000</u> in each case.	
	Subject to the conditions that these powers should not be exercised unless there is budget provision specifically made for the purpose and the expenditure is non-recurring. [Limits fixed are exclusive of percentage charges for Establishment, Tools and Plant.]	
	<b>B-Residential Buildings.</b> Rs. <u>53,000</u> for residential buildings, occupied by officers of his own Department the cost of which is debitable to the Public Works Grant, subject to the provision that the standard rent of the buildings calculated under Fundamental Rules or Bihar Service Code Rules as the case may be, shall not exceed 10 percent of the average amoluments of the class of tanants for whom it is intended and subject to the further provision that the project conform to the type plants duly approved by Government.	
	<b>Note.1-</b> Power delegated is inclusive of the Water -Supply, Sanitary and Electrical installations where such works are parts of the main buildings projects.	
	<b>Note.-2</b> Power delegated will not apply to any new work and also of works of addition or alteration to existing residential buildings and quarters occupied free of rent.	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
	<p><b>Note.-3</b> Government in the Public Works Department will accord administrative approval to the projects relating to-</p> <p>(a) Residences in the new Capital Area at Patna.</p> <p>(b) Chambers, quarters, flats III (including Legislature's (Club), etc., meant for the members of both houses of Legislature at Patna.</p> <p><sup>1</sup> [(c) [X X X X ]</p> <p><sup>1</sup> [(d) [X X X X ]</p>	
	<p><b>Note.-4</b> The area of the New Capital is defined in the map forwarded with this Department Memo. No. 9577-85-A. R., dated the 7th June, 1927, to all Departments of Government and includes the residences in the Patna-Gaya Road, Chhajubagh and near about the Race Course (now Gandhi Maidan), Bankipur.</p>	
	<p><b>Note.5-</b> The word "Residence" does not include the clerks' quarters at Patna. Individual projects of water supply, sanaitary and electric installations.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>C-Non-residential Buildings</b></p> <p>For additions, improvements and alterations to existing Water-Supply, Sanitary &amp; Electrical installations:-</p> <p>(a) <u>Rs. 35,000</u> for Water-Supply or Sanitary installation.</p> <p>(b) <u>Rs. 7,000</u> for Electrical installation.</p> <p>Subject to the provision that such additions or alterations are in accordance with the scale and type fixed by the Government, for a particular class of buildings and where no such scale and type have been fixed it should be certified by the estimating officers concerned that the proposed works of addition, improvement and alterations are not in excess of the need for the class of buildings to which work relates.</p>	

1. Added by RCD Resolution No. 2676 dated 15 May, 2005

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
	<b>Note.1-</b> Outlay on the first installation of Water Supply. Sanitary and Electrical Works in a building will require the sanction of Government.	
	<b>Note.2-</b> Power delegated will apply to those non-residential buildings only the cost of which is debitable to the Public Works Grant.	
	<b>Note.3-</b> Power delegated will not apply to non-residential buildings mentioned in Note IV (c) under item no.I-A.	
	<p style="text-align: center;"><b>D-Residential Buildings</b></p> <p>For additions, improvements and alterations to the existing water-supply, sanitary and electrical installation including out houses.-</p> <p>(a) <u>Rs. 18,000</u> for Water Supply or Sanitary installation.</p> <p>(b) <u>Rs. 4,000</u> for Electric installation. Subject to the conditions (a) that the standard rent of the buildings. Calculated under Fundamental Rules or Bihar Service Code Rules, as the case may be, shall not exceed 10 percent of the average emoluments of the class of tenants for whom it is intended; (b) That such additions, improvements, and alterations are in accordance with the scale and type fixed by Government for a particular class of buildings, and (e) where no such scale and type have been fixed, it should be certified by the estimating officers that the proposed works is not in excess of the need for the class of buildings to which the work relates.</p>	
	<b>Note 1.-</b> Outlay on the first installation of Water-Supply, Sanitary and Electrical Works will require the sanction of Government.	
	<b>Note 2.-</b> Powers delegated will apply to works on those residential buildings only, the cost of which is debitable to the Public Works Grant.	
	<b>Note 3.-</b> Powers delegated will not apply to residential buildings mentioned in Notes 2 and 3 under item No. 1-B.	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<b>II. Alteration in Design</b>	To sanction necessary alteration in the constructive details of works during their execution. Provided such alteration do not cause and increase of charge beyond the limit of his powers to deal finally with excess over estimates.	
<sup>1</sup> <b>[III. Allotment of Fund [X X X X]</b>	[X X X X]	
<b>IV. <u>Technical Feasibility approval and Technical sanction</u></b> (i) To accord technical sanction to estimate for works including Electric Estimates Works (original and supplementary).	Full powers. In case of irrigation projects, however, the Chief Engineer can accord technical sanction to estimates for sanction to detailed working estimates against the sanctioned provision under each head, after administrative approval to it has been accorded by the competent authority provided that whenever any modification is proposed in the details of the scheme involving a departure from the approved design or the alteration of the other parts of the scheme or affecting the standard or efficiency or stability of the whole work, he should move the State Government to accord or obtain fresh administrative approval. Note.- These powers apply to Deposit Works also.	
(ii) To sanction estimates technically for land required for construction of buildings.	Full powers.	
(iii) To sanction estimates for ordinary repairs.	Ditto.	
(iv) To sanction estimates for special repairs.	Ditto.	
(v) To prescribe lump sum provision for annual repairs to electric Installations in civil buildings.	Up to a limit of <u>Rs. 14,000</u> in each case where cost of such annual ordinary repairs is less than <u>Rs. 14,000</u> subject to revision from time to time. Within this amount the expenditure will be permissible year after year without any detailed estimate being prepared and when the above limit is exceeded in any working year, detailed estimates will have to be prepared according to ordinary rules and got sanctioned by the competent authority.	Chief Electrical Engineer only.

**1. Omitted by RCD Resolution No.2676 dated 15 May, 2005.**

[Rule 292 ] Vol. I

Revised Bihar P.W.D. Code

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(vi) To sanction (a) estimates for losses due to depreciation of stock or due to reduction in the rates of prices of stock, or (b) due to disposal of all unserviceable stores, etc.	(a) Up to <u>Rs. 1.4 lakh.</u>  (b) Up to <u>Rs. 1.4 lakh.</u>	Subject to the condition that the reasons should be recorded in writing to the Public Works Department, Finance Department, and the Accountant General, Bihar.
<b>V. Disposal of stores.</b> (i) To declare any stores (including stock, tools and plant materials received from works dismantled or and the undergoing repairs) as surplus and unserviceable and to issue order for the disposal by public auction or otherwise of.	(i) Full powers subject to the condition that reasons should be recorded and communicated to the Public Works Department, Finance Department and the Accountant General, Bihar.	
(ii) To sanction the write off of the irrecoverable loss due to the disposal of the surplus, stores by public auction or otherwise.	(ii) Full powers-subject to the condition that the reasons should be reported in writing to the Public Works Department, Finance Department and the Accountant-General, Bihar.	
(iii) To remit the supervision charge of 10 p.c. in the case of sale of surplus stores when considered to be unsaleable.	(iii) Full powers.	
<b>VI.Excess over estimate.</b> (i) To pass excess over estimates sanctioned by them selves or higher authority.	To pass all excess of not more than <u>10 percent</u> of the amounts of original estimates sanctioned by him or by a higher authority.	
(ii) To pass excess expenditure on all other	Up to a limit of <u>Rs. 7,000</u> in respect of the total of the sanctioned estimates.	

works.		
--------	--	--

[Rule 292 ] Vol. I

Revised Bihar P.W.D. Code

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(iii) To pass excess over annual repair estimates.	Full powers-subject to the provision that total expenditure under the primary unit repairs including the excess is within the available grant.	
<b>VII. Contingencies in the estimate for a work.</b> To divert provision for contingencies in an estimate to new works or repair not provided there in but fairly contingent on the proper completion of work.	Up to <u>Rs. 70,000.</u>	
<b>VIII. Tools and Plants.</b>		
(i) To sanction the purchase, manufacture and repair of Tools and Plant other than office furniture, live stock and tents.	Full powers within the limits assigned in the budget estimates.	
(ii) To sanction the purchase, manufacture and repair of office furniture.	Full powers within the limits assigned in the budget estimate.	
(iii) Tents To sanction the purchase, manufacture or repair of tents.	Full powers within the limits assigned in the budget estimate.	
(iv) Stock limit. To sanction the stock limit for each division and for its reduction.	Full powers <u>for only six month.</u>	
<b>IX. Compensation.</b> To sanction estimate for compensation for crops destroyed by breaches of canals.	Up to <u>Rs. 7,000.</u>	Chief Engineer, Irrigation only.
<b>X. Law suits.</b> To sanction law suits.	May sanction expenditure on account of law charges not exceeding <u>Rs. 7,000</u> in each case. This does not apply to land acquisition cases. Superintending Engineer's existing power is withdrawn.	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<p><b>XI. Rent of Buildings.</b> To sanction rent of buildings used as office.</p>	<p>May sanction within the limit of budget provision. (1) Payment of rent on lands and buildings leased by Government up to a limit of <u>Rs. 4,000</u> a year in each case. (2) Payment of house rent for building, leased for office accommodation within the following limits:- When the accommodation is provided in a separate building. When the accommodation is provided in a building partly used as a private residence.</p>	<p>Rs.1400a month. One half of total rent subject to as a private residence maximum of <u>Rs.700</u> a month.</p>
<p><b>XII. Sale or Dismantlement of Buildings.</b> To sanction disposal or demolition of public buildings (other than residential buildings) and inspection bungalows constructed from public funds.</p>	<p>Up to book value of <u>Rs. 70,000</u> subject to the following restrictions:- (1) Whenever he sanctions the sale of a building he should communicate the order to the Collector, take necessary action to sell lands and buildings together.</p>	
	<p>(2) No buildings should be sold unless it has been previously ascertained that it is not required by any Department of Government and approval of Collector should be obtained before any building is ordered to be sold.</p>	
	<p>(3) No buildings should be demolished unless it is in a dangerous condition or beyond repairs.</p>	
	<p>(i) Power should not extend to the sale or dismantlement of several individual buildings situated in a compound the total cost of which exceeds <u>Rs. 70,000</u>. (ii) When it is proposed to sell or dismantle a portion of the building, the value of entire building and not of the portion should be taken into consideration.</p>	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<b>XIII. Write off of Losses.</b>		
(i) To sanction the write off of lost measurement books including the standard measurement books.	Full powers.	
(ii) To sanction the write off of the lost receipt books.	Full powers.	
(iii) To write off of irrecoverable sum of public money lost through fraud or negligence of individuals or by other causes.	Up to <u>Rs. 3,500</u> in each case subject to the condition. (i) To declare any stores disclosing a defect of system, the amendment of which requires the orders of Government, and (ii) That there has not been any serious negligence on the part of some individual officer or officers which might possibly call for disciplinary action requiring the orders of higher authority (See rule 63 of the Bihar Financial Rules.)	
(iv) To sanction the write off of irrecoverable value of all classes of stores (lost, loss, does not disclose a destroyed or damaged) through fraud or negligence of individuals or by other causes.	Up to <u>Rs. 3,500</u> in each case subject to the condition (i) that the loss does not disclose a defect of system, the amendment of which requires the orders of Government, and (ii) that there has not been any serious negligence on the part of some individual officer or officers which might possibly call for disciplinary action requiring the orders of higher authority (see rule 63 of Bihar Financial Rules).	
<b>XIV. Contribution Works</b> to authorise undertaking of contribution works or deposit works.	Up to <u>Rs. 70,000</u> excluding Departmental charges.	
<b>XV. Statement of objections.</b> To dispose of half-yearly statement of items held under objection.	Full powers to dispose of statement of objections in the case of accounts of the Division, provided no financial rules are infringed.	
<b>XVI. Contracts and Tenders.</b> (i) Power to accept tenders.	<u>350 lakh. (up to 10% above the BOQ cost.)</u>	
(ii) To alter the time limit and to remit or reduce the penalty provided in all agreements or contract.	Full powers except in case of those entered into by higher authority <u>with the approval of the Government.</u>	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(iii) To revise the rate of contracts or agreements and fix a date from which the revision rules is to take effect.	Full powers provide with the approval of the Government (i) as a result of the revision the total amount does not exceed their power to accept tenders or to enter into agreements and	
	(ii) that it does not necessitate a revised estimate or cause an excess which is beyond their power or sanction.	
	<b>Note.-</b> (i) Power to revise rates of contracts or agreements shall not apply to cases in which the rates are revised due to market fluctuation or to the payment of lum sum as compensation in lieu there of. The orders of Government shall invariably be obtained in all such cases.	
	(ii) Rates shall, not be revised with retrospective effect unless there is sufficient justification which should be recorded in writing.	
<b>XVII. Classes of deeds etc.</b> (i) All instruments relating to purchase, supply and conveyance or carriage of materials, stores, machinery, etc.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned
(ii) All instruments relating to the execution of works of all kinds, connected, roads, canals, tanks, reservoirs, docks and harbours and embankments and also instruments relating to the construction of waterworks, sewage works, the erection of machinery, and the working of coalmines.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned
(iii) Security bonds for the due performance and completion of works.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned
(iv) Security bonds for the due performance of their duties by Government servants whom the officers specified have power to appoint.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(v) Leases for grazing cattle on canal banks or roadsides, for fishing in canals, for the cultivation of land under the irrigation Department, lease of water for irrigation and other purpose and leases of water power and instruments, relating to the sale of grass, trees or other produce on roadside or in plantations.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned
(vi) Leases of houses, lands or other immovable property provided the rent reserved shall not exceed Rs.5,000 a month.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned
(vii) All instruments connected with the recovery of property given as security.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned
(viii) Instruments connected with the collection or <u>Framing</u> of tolls at bridges or ferries or other means of communication provided by the State Government.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned
(ix) Agreements for the recovery of fines on account of drift wood or other timber passing into a canal.	Full Powers.	Chief Engineer Concerned
(x) Purchase of Books, Periodical, Maps and other publication.	Up to <u>Rs. 4,000</u> in a year for his own office and <u>Rs. 14,000</u> for subordinate office.	
(xi) Printing of Forms and Stationary in Private Press.	Up to <u>Rs. 18,000</u> .	
<sup>1</sup> [(xii) Approval of excess BOQ item.	Increase in quantity maximum up to 25% item wise. If increase in amount is due to any new item, acceptance of claim or due to supplementary agreement by dint of integral part of that work then 25% of the original agreement amount.]	

**1. Added by RCD Resolution No.2676 dated 15 May, 2005.**

**C.-Powers of Superintending Engineers**

293. The following powers have been delegated to the Superintending Engineers:-

**Engineers:-**

Nature of powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<p><b>I.- Sanction to estimates, Administrative Approval.</b></p> <p>To accord administrative approval to estimate for projects or works.</p>	<p>Original works other than individual projects of water supply and sanitary and electrical installations.</p> <p><b>A- Non-residential Buildings.</b></p> <p>(i) <u>Rs. 35,000</u> for non-residential buildings belonging to his Department the cost of which is debitable to the Public Works Grant.</p> <p>(ii) <u>Rs. 18,000</u> for Miscellaneous works belonging to his Department the cost of which is debitable to the Public Works Grant.</p> <p>(iii) <u>Rs. 70,000</u> for communication works.</p> <p><b>Note.-</b> (i) Power delegated is inclusive of Water Supply, Sanitary and Electrical installations where such works form part of the main buildings project.</p> <p>(ii) Communication Works include works on roadside, Inspection Bungalows, Rest, Houses etc.</p> <p>(iii) In the case of State Highways, the approval of the Commissioner of the Division should be obtained before any material change is made in the alignment of roads.</p> <p>(iv) Power delegated will not apply to works on the following non-residential buildings:-</p> <p>(a) Secretariat buildings at Patna and temporary barracks adjoining the Secretariat compound at Patna.</p> <p>(b) Legislature buildings (both Assembly and Council) at Patna.</p> <p>(c) Buildings used for residential purpose but are classified as non-residential, e.g., police barracks, hostel, peon's barracks etc.</p> <p>(v) Government in the Public Works Department will accord administrative approval to all works relating to buildings mentioned at (iv) (a) and (b). As regards works relating to the buildings mentioned at (iv) (c) administrative approval will be accorded by the Government in the Administrative Department concerned.</p>	<p>Superintending Engineers (Excluding the Superintending Engineer, Public Health Circle).</p>

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
	<p style="text-align: center;"><b>B- Residential Buildings</b></p> <p>Rs. <u>35,000</u> for residential for residential buildings, occupied by officers of his own Department the cost of which is debitible to the Public Works Grant, subject to the provision that the standard rent of the buildings calculated under Fundamental Rules or Bihar Service Code Rules, as the case may be, shall not exceed 10 percent of the average amoluments of the class of tenants for whom it is intended and subject to the further poroviso that the projects conform to the type plans duly approved by Government.</p> <p>Note. 1- Power delegated is inclusive of Water-Supply, Sanitary and Electrical installations where such wsortks are parts of the main buildings projects.</p> <p>Note. 2- Power delegated will not apply to any new work and also of works of addition or alteration to existing residential buildings and quarters occupied free of rent.</p> <p>Note. 3- Government in the Public Works Department will accord administrative approval to the projects relating to-</p> <p>(a) Residences in the new Capital Area at Patna.</p> <p>(b) Chambers, quarters, flats (including Legislature's Club), etc., meant for the members of both houses of Legislature at Patna.</p> <p><sup>1</sup> [(c) [X X X X]]</p> <p><sup>1</sup> [(c) [X X X X]]</p> <p>Note. 4- The area of the New Capital is defined in the map forwarded with this Department Memo. No. 9577-85-A. R., dated the 7th June, 1927, to all Departments of Government and includes the residences in the Patna-Gaya Road, Chhajibagh and near about the Race Course (new Gandhi Maidan), Bankipur.</p> <p>Note. 5- The word "Residences" does not include the clerks' quarters at Patna.</p>	

1. Omitted by RCD Resolution No. 2676 dated 15 May, 2005.

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
	<p style="text-align: center;"><b>C- Non-residential Buildings</b></p> <p>For additions, improvements and alterations to existing Water-Supply, Sanitary &amp; Electrical installations:-</p> <p>(a) <u>Rs. 18,000</u> for Water Supply or Sanitary installation.</p> <p>(b) <u>Rs. 4,000</u> for Electrical installation.</p> <p>Subject to the provision that such addition or alteration is in accordance with the scale and type fixed by the Government, for a particular class of buildings and where no such scale and type have been fixed it should be certified by the estimating officers concerned that the proposed works of addition, improvement and alterations are not in excess of the need for the class of buildings to which the work relates. Note. 1- Outlay on the first installation of Water Supply Sanitary and Electrical Works in a buildings will require the sanction of Government.</p> <p>Note. 2- Power delegated will apply to those non-residential buildings only the cost of which is debitable to the Public Works Grant.</p> <p>Note. 3- Power delegated will not apply to non-residential buildings mentioned in Note IV (c) under item no.1-A.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>D- Residential Buildings</b></p> <p>For additions, improvements and alterations to the existing water-supply, sanitary and Electrical installation in residential buildings including out houses.-</p> <p>(a) <u>Rs. 7,000</u> for Water Supply or Sanitary Installation.</p> <p>(b) <u>Rs. 2,000</u> for Electrical installation.</p> <p>Subject to the conditions (a) that the standard rent of the buildings. Calculated under Fundamental Rules or Bihar Service Code Rules, as the case may be, shall not exceed 10 percent of the average emoluments of the class of tenants for whom it is intended;</p>	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
	<p>(c) That such additions, improvements, and alterations are in accordance with the scale and type fixed by Government for a particular class of buildings, and (d) where no such scale and type have been fixed, it should be certified by the estimating officers that the proposed works is not in excess of the need for the class or buildings to which the work relates.</p> <p><b>Note. 1.-</b> Outlay on the first installation of Water-Supply, Sanitary and Electrical Works will require the sanction of Government.</p> <p><b>Note. 2.-</b> Powers delegated will apply to works in those cost of which is debitible to the Public Works Grant.</p> <p><b>Note. 3.-</b> Powers delegated will not apply to residential buildings mentioned in Notes 2 and 3 under item No. 1-B.</p>	
<b>II.- Alteration in design.</b>	To sanction necessary alteration in the constructive details or works during their execution. Provided such alteration do not cause an increase of charge beyond the limit of his powers to deal finally with excess over estimates.	
<sup>1</sup> [III.- Allotment of funds. [X X X X] <b>IV.-<u>Technical Feasibility approval and Technical sanction.</u></b> (i) To accord technical sanction to estimates for works including Electrical Works (Original and Supplementary)	<sup>1</sup> [X X X X]  Rs. 70 lakh for each work, provided that administrative approval or sancion has been accorded by the competent authority. <b>Note 1.-</b> The above limit exclude departmental charges. <b>Note 2.-</b> The above limit apply to Deposit Works also.	
(ii) To sanctioned estimates for ordinary repairs.	Within the limits assigned to his circle in the budget estimate.	
(iii) To sanction estimates for special repairs.	Ditto	

1. Omitted by RCD Resolution No. 2676 dated 15 May, 2005.

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(iv) To prescribe lump sum provision for annual repairs.	Upto <u>Rs. 70,000</u> for each case (excluding municipal tax).	
(v) to prescribe lump sum provision for annual repairs to Electrical Installation in Civil buildings.	Up to a limit of <u>Rs. 70,000</u> in each case where cost of such annual ordinary repairs is less than <u>Rs. 70,000</u> , subject to revision from time to time. Within this amount the expenditure will be permissible year after year without any detailed estimate being prepared and when the above limit is exceeded in any working year, detailed estimates will have to be prepared according to ordinary to ordinary rules and got sanctioned by the competent authority.	
(vi) Periodical repairs:- To authorise commencement of urgent periodical repairs in anticipation of formal sanction of estimates.	Full powers.	Superintending Electrical Engineer only.
(vii) Emergent repairs:- To sanction emergent repairs to work to any reasonable and necessary amount in case of imminent danger to the structure.	Full powers.	
(viii) To sanction estimate for (a) losses due to depreciation of stock for due to reduction in the rates of prices of stock or (b) due to disposal of unserviceable stores, etc.	Up to <u>Rs. 70,000</u> subject to the condition that the reasons should be reported in writing to the Chief Engineer and the Accountant-General Bihar.	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<b>V- Disposal of Stores.</b> (i) To issue orders for the disposal of all unserviceable stores including stock and Tools and Plant materials at site of work, materials received from works dismantled or under going repairs and to sanction their write off where necessary.	Full powers.	
(ii) To sanction the write off of the irrecoverable value of unserviceable stores mentioned in item	Full powers.	
(i) above		
(iii) To issue orders for the disposal of surplus stores including stock and Tools and Plan Materials at site of works and to sanction their write off where necessary.	Rs. 70,000 in each case, subject to the condition that reasons should be recovered and communicated to the Chief Engineer, P.W.D. and the Accountant General, Bihar.	
	Note.- In the case of Tools and Plant, where the book value cannot be ascertained, the estimated value should be taken into account.]	
(iv) To sanction the write off of the loss from the book value of surplus stores mentioned in item.	<u>Rs. 7,000</u> in each case.	
(iii) above, that is, the difference between, the book value of articles and the amount realised by their disposal.		
(v) To sanction the write off of the irrecoverable loss of the surplus materials exceeding the book or estimated value of	Limited to 20 percent of the book or estimated value, subject to the condition that the reasons should be reported in writing to the Public Works Department and the Accountant General, Bihar.	

Rs. 70,000

---

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(vi) To sanction the issue or sale of any materials from store yards to private persons or other Departments (including State Railways) for full value including supervision charge of 10 percent when this can be done without inconvenience to the Public Service.	Full powers.	
(vii) To remit the supervision charges of 10 percent in the case of sale of surplus stores when the sale is sanctioned by himself and when in his opinion, the sale would otherwise be unsaleable.	Full Powers.	
<b>VI- Excess over Estimate.</b> (i) To pass excess over estimates sanctioned by themselves or higher authority.	To pass all excesses of not more than 10 percent of the amount on original estimates sanctioned by himself or higher authority provided that the total amount of the excess is within the limit of his powers to sanction estimates technically.	
(ii) To pass excess expenditure on all other works.	To pass all excess expenditure within a limit of Rs. 4000 on sanctioned original works and repairs irrespective of the total amount of the sanctioned estimate. <b>[Note.- A Superintending Engineer has no power to sanction any excess over a revised estimate sanctioned by higher authority.]</b>	
<b>VII- Contingencies in the Estimate for a work.</b> To divert provision for contingencies in an estimate to new works or repairs not provided therein by fairly contingent on the proper completion of works.	Up to <u>Rs. 35,000</u> subject to the condition laid down as follows:- (1) If the amount provided under the head "Contingencies" in an estimate is either expended or earmarked, no further new works or repairs should be sanctioned till fund for such works or repairs are allotted. (2) No works or repairs which are not fairly contingent should be undertaken without proper sanction to a supplementary estimate which should be submitted for sanction as soon as the necessity is foreseen.	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<p><b>VIII- Tools and Plant.</b> (i) To sanction the purchases, manufacture and repairs of Tools and Plant other than office furniture, live-stock and tents.</p>	Up to <u>Rs. 1.4 lakh</u> for each estimate for new supplies and for repairs within the limits assigned to his circle in budget estimate.	
<p>(ii) Office furniture:- To sanction the purchase, manufacture and repairs of office furniture.</p>	Up to <u>Rs. 70,000</u> for each estimate.	Superintending Engineer Irrigation only.
<p>(iii) Tents:- To sanction the purchase, manufacture of repairs of tents.</p>	Up to <u>Rs. 35,000</u> for each estimate.	
<p><b>IX-Compensation.</b> To sanction estimate for compensation for crops destroyed by breaches of canals.</p>	Up to <u>Rs. 3,500.</u>	
<p><b>X-Rent of Buildings.</b> To sanction rent of buildings used as offices.</p>	<p>May sanction within the limit of budget provision. (1) Payment of rent of land and building leased by Government up to a limit of <u>Rs. 1750</u> a year in each case. (2) Payment of house rent for building leased for office accommodation within the following limits:- When the accommodation is provided in a separate building Rs. 700 a month. When the accommodation is provided in building partly used as a private residence. One half of total rent subject to a maximum of <u>Rs. 300</u> a month.</p>	
<p><b>XI- Sale or Dismantlement of Buildings.</b> To sanction disposal or demolition of public building (other than residential buildings) and Inspection Bungalows Constructed from Public Funds.</p>	<p>Up to book value of <u>Rs. 35,000</u> subject to the following restrictions. (1) Whenever he sanctions the sale of a building he should communicate the order to the Collector to take necessary action to sell lands and buildings together.</p>	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
	<p>(2) No buildings should be sold unless it has been previously ascertained that it is not required by any Department of Government and approval of Collector should be obtained before any building is ordered to be sold.</p> <p>(3) No buildings should be demolished unless it is in a dangerous condition or past repairs.</p> <p>(4) Power should not extend to the sale or dismantlement of several individual buildings situated in a compound the total cost of which exceeds Rs. 35,000.</p> <p>(5) When it is proposed to sell or dismantle a portion of the building, the value of entire building and not of the portion should be taken into consideration.</p>	
<p><b>XII-Write off of Losses.</b> (i) To write off of irrecoverable sum of public money lost by fraud or the negligence of individuals or any other causes.</p>	<p>Up to <u>Rs. 3500</u> in each case subject to the condition (I) that the loss does not disclose a defect of system the amendment of which requires the order of Government, and (ii) that there has not been any serious negligence on the part of some individual officer or officers which might possibly call for disciplinary action requiring the orders of higher authority (See Rule 63 of the Bihar Financial Rules Volume I).</p>	
<p>(ii) To sanction the write off of irrecoverable value of all classes of stores lost, destroyed/or damaged by fraud or the negligence of individuals or any other causes.</p>	<p>Upto <u>Rs.4,000</u> in each case subject to the condition (i) that the loss does not disclose a defect of system the amendment of which requires the order of Government, and (ii) that there has not been any serious negligence on the part of some individual officer or officers which might possibly call for disciplinary action requiring the orders of higher authority (See Rule 63 of the Bihar Financial Rules Volume I)</p>	
<p><b>XIII- Contribution Works.</b> To authorise undertaking of contribution works or deposit works.</p>	<p>Up to <u>Rs. 35,000</u> excluding Departmental charges.</p>	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<b>XIV-Contract and Tenders.</b> (i) To accept tenders.	70 lakh (up to 10% above the BOQ cost)	
<sup>1</sup> [(ii) [X X X X]]	[X X X X]	
(ii) To revise the rate of contracts or agreements as per changing Schedule of Rate and to fix a date from which the revision rule is to take effect.	Full powers provided that (i) as a result of the revision the total amount does not exceed their power to accept tenders or to enter into agreement and (ii) that it does not necessitate a revised estimate or cause and excess which is beyond their power of sanction.	
	<b>Note.</b> -(i) Power to revise rates of contracts or agreements shall not apply to cases in which the rates are revised due to market fluctuation or to the payment of lum sum as compensation in lieu thereof. The orders of Government shall invariably be obtained in all such cases.	
	(ii) Rates shall not be revised with retrospective effect unless there is sufficient justification which should be recorded in writing.	
<b>XV- Execution of Classes of deeds, contracts and other instructions.</b> (i) All instruments relating to purchase, supply and conveyance or carriage of materials, stores, machinery, etc.	Full powers.	Superintending Engineer concerned only.
(ii) All instruments relating to the execution of works of all kinds, connected with buildings, bridges, roads, canals, tanks and embankments and also instruments relating to the construction of water-works, sewerage works, the erection of machinery and the working of coalmines.	Full powers.	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(iii) Security bonds for the due performance and completion of works.	Full powers.	Superintending Engineers concerned
(iv) Security bonds for the due performance of their duties by Government servants whom the officers specified have power to appoint.	Full powers	
(v) Leases for grazing cattle on canal banks or roadsides; for fishing in canals; for the cultivation of land under the Irrigation Department; leases of water for irrigation and other purposes, and lease of water power, and instrument relating to the sale of grass, trees or other produce on roadsides or in plantations.	Full powers.	Superintending Engineers concerned
(vi) Leases of houses, lands, or other immovable property, provided that the rent reserved shall not exceed Rs. 5,000 a month.	Full powers	
(vii) All instruments connected with the reconveyance of property given as security.	Full powers.	
(viii) Instruments connected with the collection of farming of tolls at bridges or ferries or other means of communication provided by the State Government.	Full powers.	
(ix) Agreement for recovery of fines on account of drift wood or other timber passing into a canal.	Full powers.	Superintending Engineers concerned

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(x) Purchase of Books, Periodicals, maps and other publication. (xi) Purchase of Quality control, laboratory, instruments and other field instruments.	Upto <u>Rs. 2,000</u> in a year for his office.  <u>Rs. 8,000 per item subject to maximum 40,000 per year.</u>	
<sup>1</sup> [XVI- Approval of schedule of Rate (i) Schedule item	Full power (on the basis of material rates approved by Technical vigilance and labour rate by labour deptt).	
(ii) Non-schedule item	Full power (only once in a year on the basis of DGS &D rates and labour rate. If repeats the approval as scheduled item is required).	
<sup>1</sup> [XVII- Approval of excess BOQ item.	Increase in quantity maximum up to 15% item wise, if increase in amount is due to any new item, acceptance of claim or due to supplementary agreement by dint of integral part of that work then 15% of the original agreement amount.	

1. Added by RCD Resolution No. 2676 dated 15 May, 2005

**D- powers of Executive Engineers.**

**294. The following is a summary of powers delegated to the Executive Engineer in charge of a division**

<b>Nature of Powers</b>	<b>Limit of Powers</b>	<b>Remarks</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I- Alteration in Design</b>	To sanction trifling alteration in constructive details of works during their execution in cases of necessity reporting as a general rule his action to the Superintending Engineer.	
<b>II- Technical Sanction.</b> (i) To accord technical sanction to estimates for works including Electrical Works, original and supplementary.	<u>Rs. 3.5 Lakh</u> for each work provided that administrative approval or sanction has been accorded by the competent authority. <b>Note- 1.-</b> The above limit exclude departmental charges. <b>Note- 2.-</b> These powers apply to deposit work also.	
(ii) To sanction estimates for ordinary repairs.	Within the limit of budget allotments for each work plus such amount as he can provide by re-appropriation.	
(iii) To sanction estimates for special repairs.	Up to <u>Rs. 1.00 Lakh</u> as for original works.	
(iv) To prescribe lump sum provision for annual repairs to electrical installations in civil buildings.	Up to a limit of <u>Rs. 13,500</u> only.	Executive Engineers, Electrical only.
(v) <b>Emergent repairs :-</b> To sanction emergent repair to works to any reasonable and necessary amount in case of imminent danger to the structure.	Full powers.	
<b>III- Disposal of Stores:-</b> (i) To sanction the writing off from the returns of tools and plant of all tools and plant the full value of which has been recovered.	Full powers.	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(ii) To issue orders for disposal by sale or otherwise of surplus stores at their full value and of materials received from works dismantled or undergoing repairs at their estimated value.	Up to <u>Rs. 4,000</u>	
(iii) To issue orders for the disposal by Public auction of unserviceable materials after dismantlement of public works buildings at their estimated value.	Up to <u>Rs. 7,000</u>	
(iv) To Sanction sale of articles on the stock accounts to private persons at full value plus the supervision charge of 10 percent when this can be done without inconvenience to the public service.	Up to <u>Rs. 4,000</u>	
<p><b>IV- Excess over estimate.</b> To pass excess over estimates sanctioned by themselves or higher authority.</p>	<p>To pass all excess of not more than <u>10 percent</u> of the amount of original estimates sanctioned by himself or higher authority provided that the total amount of excess is within the limit of his powers to sanction estimates technically.</p> <p><b>Note</b> - An Executive Engineer has no power to sanction any excess over a revised estimate sanctioned by higher authority.</p>	

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<p><b>V- Contingencies in the estimate for work.</b> To divert provision for contingencies in an estimate to new works or repairs not provided therein but fairly contingent on the proper completion of works.</p>	<p>Up to Rs. 18,000 subject to the condition laid down as follows :- (1) If the amount provided under the head "Contingencies" in an estimate is either expended or earmarked no further new works or repairs should be sanctioned till funds for such works or repairs are allotted. (2) No works or repairs which are, not fairly contingent should be undertaken without proper sanction to a supplementary estimate which should be submitted for sanction as soon as the necessity is foreseen.</p>	
<p><b>VI- Tools and Plant.</b> Purchase, manufacture and repairs of Tools and plant. To sanction the purchase, manufacture and repairs of Tools and Plant (excluding live-stock, office furniture and tent)</p>	<p>Up to <u>Rs. 14,000.</u></p>	
<p><b>VII- Contribution or deposit works.</b> To authorise undertaking of contribution or deposit works.</p>	<p>Up to <u>Rs. 10,000</u> excluding departmental charges.</p>	
<p><b>VIII- Contracts and Tenders</b> <b>Power to accept tenders.</b></p>	<p>Up to <u>Rs. 3.5 Lakh (up to 10% above the BOQ cost)</u> <sup>1</sup>[X X X X]</p>	
<p><b>IX- Execution of Classes of deeds, contracts and other instruments.</b> (i) All instruments relating to purchase, supply and conveyance or carriage of materials, stores machinery, etc.</p>	<p>Full powers</p>	<p>Executive Engineers concerned</p>

1. Omitted by RCD Resolution No. 2676 dated 15 May, 2005

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(ii) All instruments relating to the execution of words of all kinds connected with buildings, bridges, roads, canals, tanks, reservoirs, docks and harbour and embankments and also instruments relating to the construction of water works, sewerage works, the erection of machinery and the working of coalmines.		
(iii) Security bonds for the due performance and completion of works.		
(iv) Security bonds for the due performance of their duties by Government servants whom the officers specified have power to appoint.		
(v) Lease for grazing cattle on canal banks or roadside; for fishing in canals; for the cultivation of land under the Irrigation Department, leases of water for irrigation and other puposes, and leases of water, power and intruments relating to the sale of grass, trees or other produce on roadsides or in plantation.		
(vi) Leases of huses, lands or other Immovable porperty, provided that the rent reserved shall not exceed <u>Rs. 5,000</u> a month.		

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
(vii) All instruments connected with the reconveyance of property given as security.		
(viii) Instrument connected with the collection or farming of tolls at bridges of ferries or other means of communication provided by the State Government		
(ix) Agreements for the recovery of fines on account of drift wood or the timber passing into a canal.		
<b>X - Rent of Building</b> To sanction rent of building used for purpose.	Rs. <u>1,750</u> per month	
<b>XI - Purchase of books, periodicals, maps and other publication</b>	Rs. <u>1,000</u> in a year for his own office	
<sup>1</sup> <b>[XII- Law Suit :-</b> To sanction law suits.	Up to Rs. <u>2,000</u> subject to law deptt. Approval.	
<b>XIII- Purchase of quality control laboratory instruments and other field instruments.</b>	Rs. <u>3,000</u> per item subject to 10,000 per annum.	
<b>XIV- To sanction estimate for crop compensation,</b>	Up to Rs. <u>3,000</u> .	
<b>XV- Sale or Dismantlement of building</b>	Up to Rs. <u>2.00</u> Lakh subject to intimation to SE	
<b>XVI- To pass petty vouchers.</b>	Rs. <u>5,000</u>	
<b>XVII- Approval of excess BOQ item.</b>	Increase in quantity maximum upto 10% item wise. If increase in amount is due to any new item, acceptance of claim or due to supplementary Agreement by dint of integrat part of that work then 10% of the original agreement amount.	

1. Added by RCD Resolution No. 2676 dated 15 May, 2005

**E- Powers of Assistant Engineers and Sub-divisional Officers**  
**295. The following powers have been delegated to the Assistant Engineers**  
**in charge of sub-division**

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<b>I- Contracts and Tenders.</b> <b>Power to accept tenders.</b> <b>II- Execution of classes of deeds, contracts of other instruments.</b> (i) All instruments relating to purchase, supply and conveyance or carriage of materials, stores, machinery etc.	Up to <u>Rs. 1.00 Lakh.</u> (up to 10% above the BOQ cost) <sup>1</sup> [X X X X]  Full Powers	
(ii) All instruments relating to the execution of works of all kinds connected with buildings, bridges, roads, canals, tanks, reservoirs and embankments and also instruments relating to the construction of water works, sewerage works, the erection of machinery and the working of coal-mines.	Full powers.	Assistant Engineers and Subdivisional Officers a concerned.
(iii) Security bonds for the due performance and completion of works.		
(iv) Security bonds for the due performance of their duties, by Government servants whom the officers specified have power to appoint.		
(v) Leases for grazing cattle on canals banks or roadsides; for fishing in canals; for the cultivation of land under the Irrigation Department lease of water for irrigation and other purposes; and lease of water power and instruments relating to the sale of grass, or other produce on roadside trees or in plantations.	Full Powers.	Assistant Engineers and Subdivisional Officers concerned.

**1. Omitted by RCD Resolution No. 2676 dated 15 May, 2005**

Nature of Powers	Limit of Powers	Remarks
1	2	3
<sup>1</sup> [III.- Technical Sanction:- (i) Original work. (ii) Ordinary repairs. (iii) Special repair. (iv) Emergent repair	<u>1 lakh</u> <u>1 lakh</u> <u>1 lakh</u> <u>0.5 lakh</u>	
<b>IV. Tools and Plant</b> (i) To purchase tool and plant. (ii) To sanction purchase manufacture, repair of office furniture live stock, tents etc.	Up to <u>Rs. 50,000</u> in a year.  Up to <u>Rs. 50,000</u> in a year.	
VII. To pass petty vouchers.	<u>Rs. 1,000]</u>	

### F.- Powers of Civil Officers.

The following powers have been delegated to the civil officers.-

I- Accord Administrative Approval.

(a) Original Works other than Residential Buildings and individual Projects or Water-Supply and Sanitary and and Electrical Installations.

**296.** The following authorities have been empowered to accord administrative approval to original works other than residential buildings and individual projects of water-supply and sanitary and electrical installations up to the limits specified against them:-

Authority to whom the power is delegated	Extent of powers delegated.
1. The Board of Revenue.	
2. The Registrar, High Court, Patna	
3. The Director of Public Instruction.	<u>Rs. 2.5 lakh</u> for non- residential
4. The Inspector-General of Police.	buildings belonging to his department
5. The Inspector-General of Prisons.	the cost of which is debitable to
6. The Inspector-General of Registration.	Public Works Grant.
7. The Director of Health Services.	
8. The Commissioner of Commercial Taxes.	
9. The Commissioner of Labour.	
10. The Commissioner of Excise.	
11. The Chief Conservator of Forests.	
12. The Registrar of Co-operative Societies.	
13. The Director of Agriculture.	
14. The Director of Animal Husbandry.	
15. The Director of Industries.	
16. The Cane Commissioner.	
17. The Commissioner of Divisions.	

**1. Added by RCD Resolution No. 2676 dated 15 May, 2005**

### मैनुअल- (III)

1. (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;

कार्यपालिका नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता, अन्य संहिताओं तथा नियमावलियाँ, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग तथा अन्य के द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर जारी परिपत्रों, आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में विहित प्रक्रियाएँ अपनायी जाती है; जिसमें पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं जाँच कर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है।

## मैनुअल- (IV)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान (मापदण्ड) :-

- 1 (iv) लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य में उपलब्ध भूगर्भ जल एवं सतही जल स्रोतों से कम समय एवं कम लागत पर सिंचाई क्षमता सृजित करना एवं सृजित सिंचाई क्षमता का समुचित उपयोग कर, कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- 2 (iv) वित्तीय वर्ष 2003-04 तक राज्य में उपलब्ध वार्षिक पुनर्भरणीय भूगर्भ जल भण्डार को लगभग 39 प्रतिशत का ही उपयोग हो पाया है। भूगर्भ जल भंडार के समुचित उपयोग के लिए वर्ष 2001-02 में भारत सरकार एवं बैंकों के सहयोग से निजी सिंचाई नलकूप की एक योजना प्रारंभ की गयी, जिसका नाम मिलीयन शैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम है। इसके अन्तर्गत सभी वर्ग के कृषकों को 30 प्रतिशत राशि बैंकों से अनुदान के रूप में तथा 20 प्रतिशत कृषकों को स्वयं देना पड़ता है। विभाग द्वारा मिलीयन शैलो ट्यूबवेल योजना का कार्यान्वयन बैंकों तथा नाबार्ड के माध्यम से कराया जा रहा है।
- 3 (iv) सतही जल एवं भूगर्भ जल सिंचाई योजनाओं जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर तक है; विभाग के कार्य क्षेत्र के अधीन है। विभाग द्वारा सतही, मध्यम, उद्वह, नलकूप, बार्ज आदि सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना तैयार कर उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4 (iv) राज्य में उपलब्ध छोटे जल ग्रहण स्रोतों के सदुपयोग हेतु छोटी-छोटी परियोजनाओं का निर्माण कराया जाता है।
- 5 (iv) छोटी-छोटी तथा छिटपुट जमीन जो बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के कमांड क्षेत्रों में रहते हुए भी सिंचाई सुविधा से वंचित रहती है; को भी लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- 6 (iv) कृषकों को सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत निजी नलकूपों, सिंचाई कूपों, पम्पसेटों इत्यादि पर लाभान्वितों को अनुदान की सुविधा कराना।

## मैनुअल- (VI)

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

1 (v) लोक प्राधिकार अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका जिसके आलोक में कार्रवाई की जाती है :-

- (i) कार्यपालिका नियमावली
- (ii) बिहार वित्तीय नियमावली
- (iii) बिहार सेवा संहिता
- (iv) सामान्य भविष्य निधि नियमावली
- (v) बिहार कोषागार संहिता
- (vi) बिहार पेंशन नियमावली
- (vii) बिहार ग्रुप बीमा योजना नियमावली
- (viii) बिहार यात्रा भत्ता नियमावली
- (ix) सचिवालय अनुदेश
- (x) बिहार लोक निर्माण संहिता
- (xi) बिहार लोक निर्माण लेखा कोड
- (xii) सिंचाई अधिनियम-1997
- (xiii) सिंचाई हस्तक पार्ट-I, पार्ट-II
- (xiv) बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2005
- (xv) वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्र/परिपत्र/संकल्प/अधिसूचना आदि।

2 (v) संक्षिप्त परिचय :-

कार्यपालिका नियमावली में माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री तथा वरीय पदाधिकारियों द्वारा कार्य करने के सम्बन्ध में नियम, बिहार वित्तीय नियमावली में वित्त सम्बन्धी नियम, बिहार सेवा संहिता में राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियमावली में भविष्य निधि सम्बन्धी नियम, बिहार कोषागार संहिता में कोषागार से राशि निकासी के सम्बन्ध में, बिहार पेंशन नियमावली में सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान के सम्बन्ध में, बिहार ग्रुप बीमा योजना नियमावली में ग्रुप बीमा की कटौती, मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होनेवाली ग्रुप बीमा की राशि तथा अंतिम रूप से निकासी के सम्बन्ध में नियम, बिहार यात्रा भत्ता नियमावली में बिहार राज्य के अन्तर्गत कार्य करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य के अन्दर एवं बाहर यात्रा करने में देय यात्रा भत्ता आदि के सम्बन्ध में नियम, सचिवालय अनुदेश में सचिवालय में कार्य रहे सभी वर्ग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के कर्तव्य आदि का विवरण, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण; नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, निलंबन, दण्ड एवं अपील के सम्बन्ध में नियम।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु पता :-

श्री ब्रह्मदेव प्रसाद

लोक सूचना पदाधिकारी (उप सचिव-II)

लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन, सचिवालय, बिहार, पटना

नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)–  
नियमानुसार

नोट- “सभी प्रकार की नियमावली एवं अनुदेश सम्बन्धी पुस्तक बुकस्टॉल पर निर्धारित मूल्य  
का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।”

## मैनुअल- (VI)

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण;

विभागीय कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य अभिलेख संधारित नहीं हैं।

## मैनुअल- (VII)

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

1. (vii) समय-समय पर जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों, अभ्यावेदनों एवं परामर्श को ध्यान में रखकर विभागीय स्तर पर सम्यक एवं गहन विचारोपरान्त समुचित कार्रवाई की जाती है।

## मैनुअल- (VIII)

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण;

1. (viii) इस विभाग के अन्तर्गत बोर्ड, परिषद एवं अन्य निकाय नहीं हैं। मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक- 828 दिनांक- 26/08/2006 के आलोक में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लघु सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में विभागीय परामर्शदातृ समिति का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या- 5061 दिनांक- 18/10/2006 द्वारा किया गया है। इस समिति में 6 सदस्य बिहार विधान सभा से तथा 2 सदस्य बिहार विधान परिषद् से हैं।

विभागीय अधिसूचना संख्या- 5061 दिनांक- 18/10/2006 की प्रति संलग्न है। इसकी बैठकें आम जनता के लिए खुली नहीं हैं परन्तु इसकी कार्यवाही पर आम जनता की पहुँच है।

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग**  
**अधिसूचना**

संख्या-प्र.3/ल.सिं.यो./5061/पटना, दिनांक- 18/10/2006

चतुर्थदश बिहार विधान सभा के गठन के परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक- 828 दिनांक- 26/08/2006 के आलोक में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निम्न प्रकार विभागीय परामर्शदातृ समिति का गठन किया जाता है :-

क्र०	सदस्य का नाम	पदनाम	
1.	श्री विश्व मोहन कुमार	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
2.	श्री सुभाष सिंह	स० वि० स०	सदस्य
3.	डा० रामचन्द्र पूर्वे	स० वि० स०	सदस्य
4.	श्री विश्व मोहन भारती	स० वि० स०	सदस्य
5.	श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव	स० वि० स०	सदस्य
6.	श्रीमती श्याम प्यारी देवी	स० वि० स०	सदस्य
7.	श्री जगदीश शर्मा	स० वि० स०	सदस्य
8.	श्री परमात्मा राम	स० वि० प०	सदस्य
9.	डा० शम्भु शरण श्रीवास्तव	स० वि० प०	सदस्य
10.	श्री हृदय नारायण मिश्र	उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य सचिव

2. **समिति के निम्नांकित कर्तव्य होंगे :-**

- (क) विभाग में कार्याधीन योजनाओं एवं विभाग द्वारा सम्पादित कार्य की समीक्षा।
- (ख) विभाग में सुचारु कार्य सम्पादन के लिए विभागीय प्रशासन एवं इसके दावे में सुधार के लिए सुझाव।
- (ग) कार्य की प्रगति तीव्र करने एवं प्रशासन में मितव्ययिता लाने के निमित्त विभाग द्वारा अपनायी जाने वाली सामान्य नीति और कार्यक्रम पर परामर्श देना।
- (घ) भविष्य में विकास कार्य के लिए योजना तैयार करना।

3. समिति का कार्य केवल सलाहकारी होना एवं उसकी कार्यवाही अत्यन्त गोपनीय होगी। समिति में मात्र सदस्य ही भाग ले सकेंगे तथा किसी सदस्य के कोई प्रतिनिधि को भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। समिति की बैठक में विचार किए गये विषय पर वोट नहीं दिये जायेंगे।

4. समिति के सदस्यों को उसी दर से यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो विधान मंडल के सदस्यों के रूप में उन्हें अनुमान्य है और इसका भुगतान यथास्थिति बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद सचिवालय के बजट शीर्ष से होगा।

5. समिति के सदस्य सचिव बैठक बुलाने की व्यवस्था करेंगे। बैठक में उपस्थिति के आधार पर प्रतिहस्ताक्षरित कर विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय को भुगतान हेतु प्रेषित करेंगे।
6. समिति की बैठक 3 माह के अन्दर एक बार अवश्य होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-  
(ब्रह्मदेव प्रसाद)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- 5061 /पटना, दिनांक- 10/10/2006  
प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अगले बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(ब्रह्मदेव प्रसाद)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- 5061 /पटना, दिनांक- 10/10/2006  
प्रतिलिपि, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय, पटना/विधान सभा/विधान परिषद के माननीय सदस्यगण/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग/सचिव, लघु सिंचाई विभाग के निजी सहायक/परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग/सभी उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग/सदस्य सचिव, लघु सिंचाई विभाग/सभी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई/नलकूप/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई/नलकूप, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई/नलकूप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(ब्रह्मदेव प्रसाद)  
सरकार के उप सचिव

## मैनुअल- (IX)

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

1 (ix) विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका यथा :-

मुख्यालय स्तर पर :-

क्र०	पदनाम एवं कार्यालय	नाम	दूरभाष
1.	माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना	श्री विश्व मोहन कुमार	0612-2224748 (का०) 0612-2204395 (आ०) 0612-2224748 (फैक्स) मो.- 9431247751
2.	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना	श्री एस० एस० वर्मा	0612-2221165 (का०) 0612-2590827 (आ०) 0612-2224184 (फैक्स) मो.- 9431012696
3.	संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना	श्री ज्योतिन्द्र नाथ पाण्डेय	0612-2221820 (का०) 9431882644 (मो०)
4.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अनुश्रवण अंचल, विकास भवन, बेली रोड, पटना	श्री दिनेश प्रसाद सिंह	0612-2580870 (आ०)
5.	उप सचिव-I, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना	श्री एच० एन० मिश्र	मो.- 9431340640
6.	उप सचिव, II, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना	श्री ब्रह्मदेव प्रसाद	मो.- 9431269177
7.	उप सचिव, III, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना	श्री शाहिद इकबाल खाँ	मो.- 9431428577
8.	अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना	श्री रवि शंकर सिन्हा	0612-2239369 (आ०)

क्र०	पदनाम एवं कार्यालय	नाम	दूरभाष
1.	परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग, पटना, विश्वेश्वरैया, बेली रोड, पटना	श्री अवधेश प्रसाद सिंह	0612-2234430 (का०) मो.- 9835418546
2.	मुख्य अभियन्ता, नलकूप (दक्षिण), पटना, राईडिंग रोड, हवाई अड्डा के निकट, शेखपुरा, पटना	श्री अजित मनोहर खलखो	0612-2234467 (का०) मो.- 9835545925
3.	मुख्य अभियन्ता, नलकूप (उत्तर), मुजफ्फरपुर, शेरपुर बाई-पास रोड, मुजफ्फरपुर	श्री अवधेश प्रसाद सिंह	0612-2234430 (का०) मो.- 9835453313
4.	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, पटना, विकास भवन, बेली रोड, पटना	श्री विलास मण्डल	0612-2201235 (का०) मो.- 9431436266
5.	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, मुजफ्फरपुर, रामबाग रोड, हाथी चौक के निकट, मुजफ्फरपुर	श्री विश्वनाथ चौधरी	0621-2280836 (का०) मो.- 9431023566
6.	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, भागलपुर, मायागंज, भागलपुर	श्री राम शोभित	0641-2400123 (का०) 0641-2401123 (आ०) मो.- 9431444439
7.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, पटना, मीठापुर, भाना मिल के निकट, पटना	श्री नारायण पासवान	0612-2221845 (का०) मो.- 9431017298
8.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, गया	श्री बिन्देश्वर राम	मो.- 9835072356 0631-2429040 (का०)
9.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, आरा, पूर्वी रेलवे गुमटी के निकट, आरा, भोजपुर	श्री रामोचित रजक	मो.- 9431211700

10.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर, डामुचक, मुजफ्फरपुर	श्री विश्वनाथ चौधरी	0621-2240054 (का0)
11.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, दरभंगा, स्टेशन के निकट, दरभंगा	श्री नारायण पासवान	मो.- 9431017298
12.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, पूर्णियां, लाईन बाजार, पूर्णियां	श्री राम वचन चौधरी	मो.- 9430263602
13.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई रूपांकन अंचल, पटना, राईडिंग रोड, हवाई अड्डा के निकट, शेखपुरा, पटना	श्री जगलाल चौधरी	0612-2353582 (आ0)
14.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अन्वेषण अंचल, पटना, मीठापुर कृषि फार्म, गया गुमटी, पटना	श्री हरिकेश्वर राम	0612-2257587 (आ0)
15.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना, मीठापुर कृषि फार्म, पटना	श्री विलास मण्डल	0612-2623194 (का0) मो.- 9431436266
16.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया, स्वराजपुर रोड, गया	श्री जय मंगल पासवान	मो.- 9835261460
17.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, सासाराम, नया क्षेत्र, सासाराम	श्री विभूति नारायण हाजरा	मो.- 9430436095
18.	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, पटना, मीठापुर कृषि फार्म, गया गुमटी, पटना	श्री लाला रजक	0612-2363927 (का0) मो.- 9835257588
19.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर, कम्बाईण्ड कार्यालय भवन, मुजफ्फरपुर	श्री विश्वनाथ चौधरी	0621-2212630 (का0) मो.- 9431023566
20.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा, बेटा चौक, दरभंगा	श्री नारायण पासवान	मो.- 9431017298
21.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, छपरा, दहियांवा, महमूद चौक, छपरा	श्री विश्वनाथ चौधरी	मो.- 9431023566
22.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर, कम्बाईण्ड कार्यालय भवन, भागलपुर	श्री राम शोभित	0641-2400347 (आ0)
23.	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, सहरसा, कोसी कॉलोनी के निकट, सहरसा	श्री राम वचन चौधरी	मो.- 9430263602
24.	कार्यपालक अभियन्ता, केन्द्रीय कर्मशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना, राईडिंग रोड, हवाई अड्डा के निकट, शेखपुरा, पटना	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद ठाकुर	0612-2575143 (आ0) मो.- 9431453313
25.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पूर्वी), हाई कोर्ट के निकट, पटना	श्री अखिलेश चन्द्र भूषण	0612-2224714 (का0)
26.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पश्चिम), बिहटा, पटना	श्री अरूण प्रसाद सिन्हा	मो.- 9431400982
27.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, बाढ़, भतगांव रोड, बाढ़, पटना	श्री गोपाल प्रसाद विश्वास	मो.- 9431060618
28.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, भागलपुर, कम्बाईण्ड कार्यालय भवन, भागलपुर	श्री द्वारिका तिवारी	मो.- 9431630619
29.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, मुंगेर	श्री आर0 के0 मिश्रा	मो.- 9431236642
30.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, गया, किरानी घाट, जनता कोल्ड स्टोरेज के सामने, गया	श्री चन्द्रभूषण प्रसाद	मो.- 9431647691
31.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, नवादा	श्री जमालुद्दीन	मो.- 9835640025
32.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल,	श्री कपिलेश्वर झा	मो.- 9934297406

	जहानाबाद, गांधी मैदान, जहानाबाद		
33.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, बिहारशरीफ, सोहसराय, 17 नम्बर, बिहारशरीफ, नालन्दा	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता	मो.- 9835489983
34.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, आरा, भोजपुर	श्री चतुर्गुण राम	मो.- 9334103472
35.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, बक्सर	श्री छट्टु तिग्गा	मो.- 9934156906
36.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, सासाराम (कैम्प डिहरी), सासाराम	श्री प्रभु रजक	मो.- 9430299134
37.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, मोहनियां, कैमूर	श्री प्रभुनाथ प्रसाद	मो.- 9431434790
38.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, बेला इण्डस्ट्रीयल एरिया, मुजफ्फरपुर	श्री वी0 एन0 साहनी	0612-2523151 (आ0)
39.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, सीतामढ़ी, थाना कम्प्लेक्स, डुमरा, सीतामढ़ी	श्री राम एकबाल चौरसिया	मो.- 9835148892
40.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, हाजीपुर, महाराना प्रताप कॉलोनी, हाजीपुर, वैशाली	श्री चन्द्रदेव पासवान	मो.- 9334893272
41.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, छपरा, सलेमपुर, छपरा	श्री विपिन बिहारी	मो.- 9934651971
42.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, सिवान, गण्डल कॉलोनी, सिवान	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	मो.- 9431458859
43.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज, पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज	श्री धैर्य नारायण झा	मो.- 9430028116
44.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, मोतिहारी, बेली सराय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	श्री चन्द्रेश्वर शर्मा	मो.- 9835458638
45.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, बेतिया, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण	श्री मनोहर लाल बर्नवाल	मो.- 9835220496
46.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा, गढ़िया, लेहेरियासराय, दरभंगा	श्री कृष्ण कन्हैया झा	मो.- 9431068514
47.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय, बी0सी0 सिंह पेट्रोल पम्प के सामने, एन0 एच0- 31, बेगुसराय	श्री जगदीश चन्द्र	मो.- 9431240555
48.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, समस्तीपुर	श्री वी0 के0 पाठक	0612-2692257 (आ0)
49.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी, खादी भण्डार भवन, मधुबनी	श्री कृष्ण कन्हैया झा	मो.- 9431068514
50.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पूर्णियां, एस0पी0 कोठी रोड, पूर्णियां	श्री श्यामानन्द मण्डल	मो.- 9431446007
51.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा, कोर्ट एरिया, पानी टंकी के निकट, मधेपुरा	श्री ओम प्रकाश राय	मो.- 9934480315
52.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया, सदर हॉस्पिटल के पीछे, खगड़िया	श्री जगदीश चन्द्र	मो.- 9431240555
53.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई रूपांकन प्रमण्डल, पटना, मीठापुर कृषि फार्म, गया गुमटी, पटना	श्री दिनेश प्रसाद सिंह	0612-2580870 (आ0)
54.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई अन्वेषण प्रमण्डल, पटना, मीठापुर कृषि फार्म, गया गुमटी,	श्री भरत भूषण कुमार	मो.- 9835876653

	पटना		
55.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना, मीठापुर कृषि फार्म, गया गुमटी, पटना	श्री अखिलेश चन्द्र भूषण	0612-2350737 (का0) मो.- 9431436868
56.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा, सोहसराय, बिहारशरीफ, नालन्दा	श्री लाल नारायण शर्मा	मो.- 9431687871
57.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा, पूर्वी रेलवे गुमटी के निकट, आरा	श्री ए0 के0 सिंह	मो.- 9431603276
58.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गया, सिद्धिया घाट, गया	श्री अखिलेश शर्मा	मो.- 9430050736
59.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा	श्री जमालुद्दीन	मो.- 9835640025
60.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद, टेरी बीघा, पुलिस चौकी के निकट, जहानाबाद	श्री कपिलेश्वर झा	मो.- 9934297406
61.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, भभुआ, देवी मन्दिर के निकट, पटेल चौक, कैमूर	श्री प्रभुनाथ प्रसाद	मो.- 9431619878
62.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद, नया क्षेत्र, औरंगाबाद	श्री जगदीश राम	मो.- 9430056027
63.	कार्यपालक अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, पटना, मीठापुर कृषि फार्म, गया गुमटी, पटना	श्री कमलाकान्त	05412-257960 (आ0)
64.	उप निदेशक, भूगर्भ जल रूपांकन प्रमण्डल, पटना, राईडिंग रोड, हवाई अड्डा के निकट, शेखपुरा, पटना	श्री समीर कुमार चटर्जी	0612-2580262 (आ0) मो.- 9334359504
65.	उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, भागलपुर, कम्बार्डिण्ड कार्यालय भवन	श्री एस0 के0 तिवारी	मो.- 9431878623
66.	उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, गण्डक कॉलोनी के पीछे में	श्री विजय नारायण सिन्हा	मो.- 9431222409
67.	उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, सहरसा		मो.- 9431878623
68.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, कम्बार्डिण्ड कार्यालय भवन, मुजफ्फरपुर	श्री गजेन्द्र नारायण मिश्रा	मो.- 9431618266
69.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी, डुमरा, वार्ड नं0- 5, सीतामढ़ी	श्री राम एकबाल चौरसिया	मो.- 9835148892
70.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हाजीपुर, गांधी आश्रम रोड, वैशाली	श्री महेश प्रसाद मण्डल	0621-2272968 (आ0) मो.- 9334991979
71.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेतिया, सागर पोखर, बेतिया	श्री मोहन लाल बर्नवाल	मो.- 9835220496
72.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी, खाशी भण्डार भवन, मधुबनी	श्री के0 के0 झा	मो.- 9431068514
73.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, समस्तीपुर, कन्हैया चौक, जितवरपुर, समस्तीपुर	श्री अजित कुमार सिन्हा	मो.- 9431009924
74.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगुसराय, नगरपालिका बाजार, एस0बी0आई0 बैंक, मुख्य शाखा के निकट, बेगुसराय	श्री जगदीश चन्द्र	मो.- 9431240555

75.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिवान, लाल कोठी, बबुनियां मोड़ के निकट, सिवान	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	मो.- 9431458859
76.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोपालगंज, काली स्थान चौक, गोपालगंज	श्री धैर्य नारायण झा	मो.- 9430028116
77.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर, मायागंज, भागलपुर	श्री जय राम मिश्रा	मो.- 9431463163
78.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुंगेर, किला क्षेत्र, मुंगेर	श्री राम नरेश प्रसाद	06478-228217 (आ0)
79.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, झांझा, पुरानी बाजार, झांझा	श्री राम नरेश प्रसाद	06478-228017 (का0)
80.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा, कोर्ट कम्प्लेक्स, एस0पी0 कार्यालय के निकट, सहरसा	श्री ओम प्रकाश राय	मो.- 9931631168
81.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार, मिर्ची बाड़ी, पेट्रोल पम्प के पीछे में, कटिहार	श्री श्यामानन्दन मण्डल	मो.- 9431446007
82.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई उड़नदस्ता प्रमण्डल, शेखपुरा, पटना	श्री देव नारायण सिंह	मो.- 9931413097

नोट :- विभागीय मंत्री तथा विभागीय सचिव को छोड़कर अन्य पदाधिकारियों के मोबाईल उनके व्यक्तिगत है।

## मैनुअल- (X)

“अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है; जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।”

- 1 (x) लघु सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मासिक पारिश्रमिक का भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में किया जाता है।

विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जा रही मासिक प्राप्तियों की विवरणी क्षेत्रीय कार्यालयों से मांगी जा रही है; जिसे वेवसाइट पर अप-डेट किया जायेगा।

तत्काल मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, पटना प्रक्षेत्र/मुख्यालय कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जा रही मासिक पारिश्रमिक विवरणी संलग्न की जा रही है।

संलग्न :- कार्यालय का नाम :- सचिव, लघु सिंचाई विभाग, पटना

क्र०	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	लेखा संख्या	कुल उपलब्धि रु०
1.	श्री शिव शंकर वर्मा (I.A.S)	सचिव		46884.00
2.	श्री ज्योतीन्द्र नाथा पाण्डेय	संयुक्त सचिव		34000.00
3.	श्री हृदय नारायण मिश्र	उप सचिव-1		31855.00
4.	श्री ब्रह्मदेव प्रसाद	उप सचिव-2		33670.00
5.	श्री शाहिद इकबाल खाँ	उप सचिव-3		31855.00
6.	मो० परवेज	निजी सहायक		22208.00
7.	श्री सुरेश कुमार सिन्हा	निजी सहायक		15837.00
8.	श्री रामचन्द्र साहू	निजी सहायक		18203.00
9.	श्री अशोक कुमार सिन्हा	निजी सहायक		14491.00
10.	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद	निजी सहायक		18203.00
11.	श्री अरविन्द कुमार	निजी सहायक		14742.00
12.	श्री अर्जुन लाल	झाडुकस		6964.00
13.	श्री प्रेमचन्द साव	पानी मजदुर		6852.00
14.	श्रीमती चमेली देवी	फरास		6852.00
15.	श्री रवि शंकर कुमार सिन्हा	अवर सचिव		25219.00
16.	श्री ब्रजनन्दन प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी		20010.00
17.	श्री नरेन्द्र कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी		22373.00
18.	श्री शिया शरण सिंह	सहायक		18756.00
19.	श्री शिवा जी पाण्डेय	सहायक		15918.00
20.	श्री विष्णु शंकर गुप्ता	सहायक		14491.00
21.	श्री अखौरी रमेश कुमार	सहायक		17786.00
22.	श्री रामानुग्रह प्रसाद सिन्हा	सहायक		20288.00
23.	श्री अवधेश कुमार	सहायक		6947.00
24.	श्री अंजन कुमार गुप्ता	सहायक		6634.00
25.	श्री रुमेश शर्मा	टंकक		16535.00
26.	श्री नीरज कुमार	टंकक		10572.00
27.	श्री जनार्दन प्रसाद सिन्हा	रुटीन कलर्क		13908.00
28.	मो० अब्बास	चपरासी		8778.00
29.	श्री द्वारिका प्रसाद	चपरासी		7103.00
30.	श्री विश्वनाथ महतो	चपरासी		8354.00
31.	मो० शकील	चपरासी		7477.00
32.	श्री मंगनू कामती	चपरासी		7103.00

कार्यालय का नाम :- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अनुश्रवण कोषांग, पटना

क्र0	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	लेखा संख्या	कुल उपलब्धि रु0
1.	श्री दिनेश प्रसाद सिंह	अधीक्षण अभियंता		36053.00
2.	श्री निर्मल कुमार विश्वास	कार्यपालक अभियंता		34561.00
3.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	कार्यपालक अभियंता		33398.00
4.	श्री महावीर त्रिपाठी	सहायक अभियंता		33398.00
5.	श्री विश्वनाथ सिंह	सहायक अभियंता		33398.00
6.	श्री योगेश्वर पाण्डेय	सहायक अभियंता		26674.00
7.	श्री ब्रह्मदेव ठाकुर	टंकक		10771.00
8.	श्री कैलाश राम	चालक		9718.00
9.	श्री बलिराम चौधरी	आदेशपाल		7652.00
10.	श्री राजवली साह	आदेशपाल		8541.00
11.	श्री आनन्द प्रसाद	आदेशपाल		8207.00
12.	श्री राजेश कुमार	आदेशपाल		6067.00

कार्यालय का नाम :- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, पटना

क्र0	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	लेखा संख्या	कुल उपलब्धि रु0
1.	श्री गंगाधर गिरि	सचिव प्रावैधिक		35934.00
2.	श्री बबन प्रसाद	सहायक अभियंता		33398.00
3.	श्री राजीव शर्मा	सहायक अभियंता		25996.00
4.	श्री त्रिवेणी सिंह	सहायक अभियंता		24024.00
5.	श्री अफजल अहमद	सहायक अभियंता		33398.00
6.	श्री भोला प्रसाद यादव	सहायक अभियंता		25996.00
7.	श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद सिंह	सहायक अभियंता		33398.00
8.	मो0 नसीम अख्तर	कनीय अभियंता		18173.00
9.	श्री वकील शर्मा	कनीय अभियंता		17235.00
10.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी		20010.00
11.	श्री कृष्णा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी		21956.00
12.	श्री सच्चिदानन्द सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी		22373.00
13.	श्री मदन मोहन झा	प्रशाखा पदाधिकारी		17406.00
14.	श्री महेन्द्र प्रसाद तिवारी	प्रशाखा पदाधिकारी		22373.00
15.	श्री आलोक कुमार सिंह	सहायक		19871.00
16.	श्री महानन्द रजक	सहायक		15918.00
17.	श्री अमरेश कुमार मिश्रा	सहायक		17369.00
18.	श्री चौधरी वीरेन्द्र कुमार राय	सहायक		17786.00
19.	श्री अरुण कुमार	सहायक		16201.00
20.	श्री भोगेन्द्र साह	सहायक		15174.00
21.	श्री विपिन कुमार सिंह	सहायक		14166.00
22.	श्री सतीश कुमार सिंह	सहायक		17786.00
23.	श्री मुरारी कुमार सिन्हा	सहायक		19871.00
24.	श्री रामकृत सिंह	सहायक		17296.00
25.	श्री जीवानन्द झा	सहायक		15546.00
26.	श्री संजय कुमार सिंह	सहायक		15471.00
27.	श्री अजीत कुमार	सहायक		19454.00
28.	श्री शिव चरण दास	सहायक		16290.00

29.	श्री उमाकान्त कुमार	सहायक		16952.00
30.	श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा	सहायक		18203.00
31.	श्री केशव कुमार सिंह	सहायक		16770.00
32.	श्री सुभाष प्रसाद साह	प्रधान टंकक		17034.00
33.	श्री सेवा दास	टंकक		14430.00
34.	श्री बीरेन्द्र प्रसाद	टंकक		14430.00
35.	श्री संजय कुमार सिंह	बिल कलर्क		10780.00
36.	श्री राम नरेश सिंह	रूटीन कलर्क		10228.00
37.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	रूटीन कलर्क		10989.00
38.	श्री साधु शरण शर्मा	अनुरेखक		11283.00
39.	श्री भीम सेन	बोरिंग कलर्क		14429.00
40.	श्री शिव अवतार सिंह	चालक		10092.00
41.	मो० दीन अहमद	चालक		11496.00
42.	श्री मूक्तिनाथ महतो	चालक		8453.00
43.	श्री बीरन महतो	चालक		10303.00
44.	श्री शिव वचन राम	चपरासी		8778.00
45.	श्री गणेश महतो	चपरासी		8778.00
46.	मो० सलाउद्दीन अंसारी	चपरासी		8778.00
47.	श्री राम नरेश महतो	चपरासी		8354.00
48.	श्री जुगेश्वर सिंह	चपरासी		8354.00
49.	श्री बलदेव यादव	चपरासी		7354.00
50.	श्री ललन प्रसाद	चपरासी		8541.00
51.	श्रीमती शान्ती कुमारी	चपरासी		6852.00
52.	श्री राम बृक्ष राम	चपरासी		8778.00
53.	श्री पंकज कुमार	चपरासी		5941.00
54.	श्री सुबोध कुमार	चौकीदार		8778.00

## मैनुअल- (XI)

‘सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये सवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (दिनांक- 31/12/06 तक)।’

नलकूप योजनाएं :-

### 1. पुराने नलकूप :

विभाग में कुल 5556 अदद पुराने नलकूपों में 5139 नलकूप ऊर्जान्वित हैं। इन ऊर्जान्वित नलकूपों में 1746 नलकूप कार्यरत हैं। शेष 3393 राजकीय नलकूप विद्युत दोष, यांत्रिक दोष एवं संयुक्त दोष से ग्रसित हैं, जिन्हें चालू कराने हेतु विभाग द्वारा सतत प्रयत्न किया जा रहा है (परिशिष्ट- 1, 2)।

### 2. नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज- 3 :

नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज-3 के अन्तर्गत 351 अदद नलकूपों का कार्यान्वयन कराया गया, जिसमें से 350 अदद नलकूपों का पूर्ण किया गया। पूर्ण किए गये 350 नलकूपों में से 339 अदद नलकूप कार्यरत हैं (परिशिष्ट- 3)।

### 3. नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज- 7 :

इस योजना के अन्तर्गत कुल 101 योजनाओं में से 77 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। 37 नलकूपों के पुनर्स्थापन, डीजलीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 40 योजनाओं को डीजल के दाम में भारी वृद्धि से अलाभकारी होने के कारण स्थगित करने का प्रस्ताव है (परिशिष्ट- 4)।

### 4. नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज- 8 :

इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 1740 योजनाओं में से 1593 नलकूपों का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। 147 नलकूपों का कार्यान्वयन भूगर्भ जल स्ट्राटा नहीं मिलने एवं अन्य तकनीकी कारणों से स्थगित करना पड़ा है। कार्यान्वित करायी जा रही 1593 योजनाओं से 63720 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। एक नलकूप की वार्षिक सिंचन क्षमता 40 हेक्टेयर है (परिशिष्ट- 5/5ए)।

### 5. नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज- 11

इस योजना के अन्तर्गत कुल 3000 नलकूपों का कार्यान्वयन कराया जा रहा है जिसकी प्राक्कलित राशि 16621.60 लाख रुपये है। योजना के पूर्ण होने पर 1,20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। योजना को वर्ष 2007-08 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है (परिशिष्ट- 6/6ए/6बी)।

लघु सिंचाई योजनाएँ :-

### 1. नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज-3

इस योजना के अन्तर्गत 11 अदद सतही सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया, जिसमें से सभी योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है (परिशिष्ट- 7)।

### 2. नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज- 7

इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 14 सतही सिंचाई योजनाओं में से 9 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है। 5 अदद योजनाओं को वन भूमि अधिग्रहण एवं अन्य तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत 7 अदद योजनाएँ पूर्ण कर ली गई है। शेष दो योजनाओं का कार्यान्वयन भू-अर्जन के कारण बाधित है (परिशिष्ट- 8)।

### 3. नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज- 8

इस योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 2727 बार्जों की उ,ह सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। वर्ष 2005-06 में 2011 बार्जों को पूर्ण कर लिया गया है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से 40220 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। एक बार्ज उद्वह सिंचाई योजना की वार्षिक सिंचन क्षमता 20 हेक्टेयर है। शेष 716 बार्ज उद्वह सिंचाई योजनाओं को वर्ष 2006-07 में पूर्ण करने का कार्यक्रम है। इनके पूरा होने पर 14320 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा (परिशिष्ट- 9/9ए)।

### 4. नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज- 9

इस योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 26 सतही सिंचाई योजनाओं में से 24 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। दो योजनाओं को तकनीकी कारणों से स्थगित करना पड़ा है। योजना को वर्ष 2006-07 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। अबतक 18 योजनाएँ पूर्ण कर ली गई है। इनके पूर्ण होने पर कुल 12107 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगी (परिशिष्ट- 10)।

## बार्ज आर0आई0डी0एफ0 फेज- 12

इस योजना के अन्तर्गत कुल 19 सतही योजनाओं में से 16 सतही योजनाओं की नाबार्ड द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। नाबार्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन्हें वर्ष 2007-08 के अन्त तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। इनके पूर्ण होने पर कुल 12193 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा (परिशिष्ट- 11)।

### राज्य योजना के अन्तर्गत सतही सिंचाई योजना :-

इस योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल 27 योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। इसमें से एक योजना, रजवारा वीयर योजना, जिला-सीतामढ़ी का कार्यान्वयन वर्ष 2005-06 से प्रगति पर है एवं इसे वर्ष 2006-07 में पूर्ण कर लेने का कार्यक्रम है। वर्ष 2006-07 में कुल 26 सतही सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू करने का प्रस्ताव है जिनमें से 23 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 898.116 लाख रुपये है। इन सभी योजनाओं को वर्ष 2007-08 में पूर्ण करने का लक्ष्य विधायित किया गया है (परिशिष्ट- 12)।

### लघु सिंचाई की पुरानी सतही उद्दह एवं बार्ज सिंचाई योजना :-

- (क) **सतही सिंचाई योजना** :- पूर्व से विभाग में कुल 316 सतही सिंचाई योजनाएँ हैं, जिनमें से 301 योजनाएँ पूर्ण है एवं 263 योजनाएँ कार्यरत है। बन्द योजनाओं को चालू कराने हेतु मरम्मति एवं अनुरक्षण का प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया है (परिशिष्ट-13)।
- (ख) **उद्दह सिंचाई योजना** :- विभाग में कुल 1776 उद्दह सिंचाई योजनाएँ है, जिनमें से वर्तमान में 164 योजनाएँ कार्यरत है। अकार्यरत योजनाएँ काफी पुरानी है एवं उनमें से अधिकांश नदी के कटाव एवं अन्य कारणों से ध्वस्त हो गई है। इमरजेन्सी रिभर पम्प की कुल 72 योजनाओं में से 17 कार्यरत है (परिशिष्ट- 14)।
- (ग) **बार्ज योजना** :- विभाग में पुराने बार्जों की कुल 139 योजनाएँ हैं, जिसमें से 138 योजना कार्यरत है (परिशिष्ट- 14/ए)।

### आहर-पईन की परम्परागत सिंचाई योजना :-

आहर-पईनों की परम्परागत सिंचाई योजनाएँ राज्य में मुख्यत, दक्षिण बिहार के पटना मगध, मुंगेर एवं भागलपुर प्रमण्डलों में सदियों पहले विकसित की गई थी। स्वतंत्रता के पूर्व इनका रख-रखाव जमीन्दारों द्वारा किया जाता था। वर्तमान में इनका नियंत्रण राजस्व विभाग के जिम्मे था। मई, 2006 से इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी लघु सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है। इनके जीर्णोद्धार एवं पुनर्स्थापन की योजनाएँ लघु सिंचाई विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। जिन योजनाओं को कमाण्ड क्षेत्र 500 हेक्टेयर से कम है एवं जिनमें किसी महत्वपूर्ण पक्की संरचना के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, इनका प्राक्कलन विभाग द्वारा तैयार कर सम्बन्धित जिलों के उप विकास आयुक्त को प्रेषित किया जा रहा है जिनका कार्यान्वयन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कराने का निर्णय लिया गया है। 500 हेक्टेयर से अधिक कमाण्ड क्षेत्र एवं पक्की संरचना की आवश्यकता वाले योजनाओं का कार्यान्वयन विभाग द्वारा कराया जायगा (परिशिष्ट- 15)।

**केन्द्र द्वारा प्रायोजित “कृषि क्षेत्र से सीधे जुड़ी परम्परागत जल ग्रहण क्षेत्रों के मरम्मति, पुनर्स्थापन एवं पुनर्स्थापन की पायलट योजना” :-**

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस पायलट योजना में दो जिलों नालन्दा एवं जमुई से क्रमशः एक एवं दो योजनाएँ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनकी सूची परिशिष्ट- 16 पर संलग्न है।

वार्षिक योजना वर्ष 2006-07 का विभिन्न इकाइयों में कर्णाकन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम					
वित्तीय वर्ष 2006-07 में लघु सिंचाई विभाग का कुल 38,062.00 लाख रुपये का उद्ध्यय संसूचित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है (दिनांक- 31/12/2006 तक) :-					
राशि लाख रुपये में					
क्र०	इकाई/कार्यक्रम	योजना उद्ध्यय	बजट उपबन्ध	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
(क)	नाबार्ड सम्पोषित योजना :-				
	(i) नाबार्ड सम्पोषित नलकूप योजना	6,732.000	6,466.120	2,757.719	118.783
	(ii) नाबार्ड सम्पोषित सतही योजना	500.000	500.000	154.467	73.574
	(iii) बार्ज सिंचाई योजना (निर्माण)	1,300.000	1,300.000	-	-
	<b>योग (क) :-</b>	<b>8,532.000</b>	<b>8,266.120</b>	<b>2,912.186</b>	<b>192.357</b>
(ख)	राज्य योजना :-				
	(i) स्थापना	2,740.000	3,227.696	2,879.074	2,335.533
	(ii) सतही सिंचाई योजना	775.000	775.000	251.000	150.000
	(iii) सतही जल सर्वेक्षण	20.000	20.000	6.830	2.901
	(iv) भूगर्भ जल सर्वेक्षण	20.000	20.000	8.000	-
	(v) नलकूप योजना का निर्माण	40.000	1.180	-	-
	<b>योग (ख) :-</b>	<b>3,595.000</b>	<b>4,043.876</b>	<b>3,144.904</b>	<b>2,488.434</b>
(ग)	राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत मिलीयन शैलो ड्यूबवेल योजना	25,500.000	25,500.000	-	-
(घ)	भारत निर्माण	475.000	292.000	-	-
	<b>कुल योग (क+ख+ग+घ) :-</b>	<b>38,102.000</b>	<b>38,101.996</b>	<b>6,057.090</b>	<b>2,680.791</b>

वर्ष 2006-07 में गैर योजना मद में बजट उपबन्ध, आवंटन एवं व्यय की विवरणी दिनांक- 31/12/2006 तक					
राशि लाख रुपये में					
क्र०	इकाई	बजट उपबन्ध	आवंटन	व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
(क)	गैर योजना				
1	2702-लघु सिंचाई-02-भू-जल-005-अन्वेषण-0001-सर्वेक्षण एवं जाँच	4620.530	3464.975	3080.918	
2	2702-लघु सिंचाई-02-भू-जल-005-अन्वेषण-0002-उ०सि०यो० का अनुरक्षण	873.550	275.710	152.325	
3	2702-लघु सिंचाई-02-भू-जल-005-अन्वेषण-0003-सतही सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण	309.690	276.344	127.612	
4	2702-लघु सिंचाई-03-रख-रखाव-102-उत्थान सिंचाई योजनाएँ-ई०आर०पी० सेट्स	27.400	13.310	9.430	
5	2702-लघु सिंचाई-03-रख-रखाव-103-नलकूप-0002-राजकीय नलकूप	7966.130	6505.826	4473.816	
6	2702-लघु सिंचाई-03-रख-रखाव-103-नलकूप-0004-केन्द्रीय कर्मशाला	77.690	77.690	57.315	
	<b>योग :-</b>	<b>13874.990</b>	<b>10613.855</b>	<b>7901.416</b>	
<b>नोट:- प्रत्येक मद में आवंटन/व्यय का विवरण प्रत्येक माह परिवर्तित होता है।</b>					

## मैनुअल- (XII)

‘सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं’

1.(xii) लघु सिंचाई विभाग के स्तर पर एम0 एस0 टी0 पी0 (मिलीयन शैलो ट्यूबवेल योजना) योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। निजी नलकूपों की इस योजना के अन्तर्गत बोरिंग एवं पम्पसेट बैंकों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। 31-01-2006 तक अनुदान की राशि सभी वर्गों के कृषकों के लिए एक समान 30 प्रतिशत थी, शेष 50 प्रतिशत बैंक ऋण थी एवं 20 प्रतिशत किसानों को स्वयं वहन करना था।

01-02-2006 से दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के लिए अनुदान की राशि 50 प्रतिशत एवं बैंक ऋण 40 प्रतिशत अनुमान्य है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए अनुदान की राशि 40 प्रतिशत एवं बैंक ऋण 50 प्रतिशत अनुमान्य है। शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन कृषकों को स्वयं करना है। दक्षिण बिहार के सामान्य वर्ग तथा उत्तर बिहार के सभी वर्गों के कृषकों के लिए अनुदान दर पूर्ववत् 30 प्रतिशत है।

योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड एवं बैंकों के माध्यम से कराया जाता है। योजना में शामिल सभी बैंकों की शाखाओं के लिए सेवा क्षेत्र निर्धारित है। उनका वार्षिक बैंकिंग प्लान प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। योजना के लिए आवेदन फार्म प्रत्येक प्रखंड में उपलब्ध है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषक, प्रखंड कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त कर प्रखंड में आवेदन भर कर जमा करेंगे। उनके आवेदन पर प्रखंड द्वारा भूस्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे सम्बन्धित बैंकों को वित्त पोषण करने हेतु प्रेषित किया जाता है। बैंकों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर ऋण की प्रथम किस्त नलकूप लगाने के लिए निर्गत की जाती है। नलकूप लगाने के बाद उसका सत्यापन कर बैंकों द्वारा पम्पसेट क्रय करने के लिए ऋण की दूसरी किस्त दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर बिहार के सभी प्रखंडों में 45 मीटर तक एवं पहचान किये गये प्रखंडों में 70 मीटर तक नलकूपों तक नलकूपों की गहराई अनुमान्य है। दक्षिण बिहार के सभी प्रखंडों में 70 मीटर तक नलकूपों की गहराई अनुमान्य है। योजना के अन्तर्गत 3.5 अश्व शक्ति से 5 अश्व शक्ति तक डीजल एवं विद्युत चालित पम्प सेट अनुमान्य है।

मिलीयन शैलो ट्यूबवेल योजना से सम्बन्धित लाभान्वितों की सूची मुख्यालय स्तर पर विभिन्न बैंकों के मुख्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सम्बन्धित बैंकों की शाखाओं एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में उपलब्ध है।

**मैनुअल- (XIII)**

‘अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ’

1.(xii) विभागीय स्तर पर शून्य है।

**मैनुअल- (XIV)**

‘किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो’

1.(xiv) विभागीय स्तर पर शून्य है।

## मैनुअल- (XV)

‘सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचनालय कक्ष के यदि लोक आयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं।’

1.(xv) विभागीय स्तर पर शून्य है।

**मैनुअल- (XVI)**

**‘लोक सूचना पदाधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ’**

(xvi) लघु सिंचाई विभाग के लोक सूचना पदाधिकारियों की सूची यथा :-

क्र०	कार्यालय	लोक सूचना पदाधिकारी का पदनाम	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी जो लोक सूचना पदाधिकारी की अनुपस्थिति में सूचना पदाधिकारी का काम करेंगे	अपीलीय प्राधिकार का पदनाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	लघु सिंचाई विभाग	उप सचिव -2	कार्यपालक अभियन्ता, अनुश्रवण कोषांग	सचिव
2.	परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग, पटना	अधीक्षण अभियन्ता, अनुश्रवण परि०संयो० कार्या०, पटना	वरीयतम कार्यपालक अभि०परि०संयो०कार्या०, पटना	परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग, पटना
3.	मुख्य अभियन्ता(उ०), नलकूप प्रभाग, मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियन्ता(उ०), नलकूप प्रभाग कार्या०, मुजफ्फरपुर	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रभाग कार्यालय, मुजफ्फरपुर	मुख्य अभियन्ता(उ०), नलकूप प्रभाग, मुजफ्फरपुर
4.	मुख्य अभियन्ता(द०), नलकूप प्रभाग, पटना	कार्यपालक अभियन्ता(द०), नलकूप प्रभाग कार्या०, पटना	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रभाग कार्यालय, पटना	मुख्य अभियन्ता(द०), नलकूप प्रभाग, पटना
5.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, पटना	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, पटना	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, पटना	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, पटना
6.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, आरा	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, आरा	सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, आरा	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, आरा
7.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, गया	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, गया	सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, गया	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, गया
8.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर	सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर
9.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, दरभंगा	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, दरभंगा	सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, दरभंगा	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, दरभंगा
10.	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, पूर्णिया	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, पूर्णिया	सहायक अभियन्ता, नलकूप अंचल, पूर्णिया	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, पूर्णिया
11.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पूर्वी)	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पूर्वी) मुख्यालय	सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पूर्वी)	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पूर्वी)
12.	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पश्चिम) बिहटा	वरीयतम सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पश्चिम) बिहटा	सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पश्चिम) बिहटा	कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पश्चिम) बिहटा
13.	कार्यपालक	वरीयतम सहायक	सहायक अभियन्ता, नलकूप	कार्यपालक अभियन्ता,











	सिंचाई प्रमण्डल, झाझा	प्रमण्डल, झाझा		झाझा
82.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा	वरीयतम सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा
83.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार	वरीयतम सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार

**मैनुअल- (XVII)**

‘ऐसी अन्य कोई सूचनाएँ जो विहित की जाय, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।’

(xvii) विभागीय स्तर पर शून्य है।